रूरल इलेट्रीफिकेशन कारपोरेशन लि.

(भारत सरकार का उपक्रम)

फ्रैंचाइजी प्रणाली का मूल्यांकन

बोंगाईगांव (असम) पर रिपोर्ट

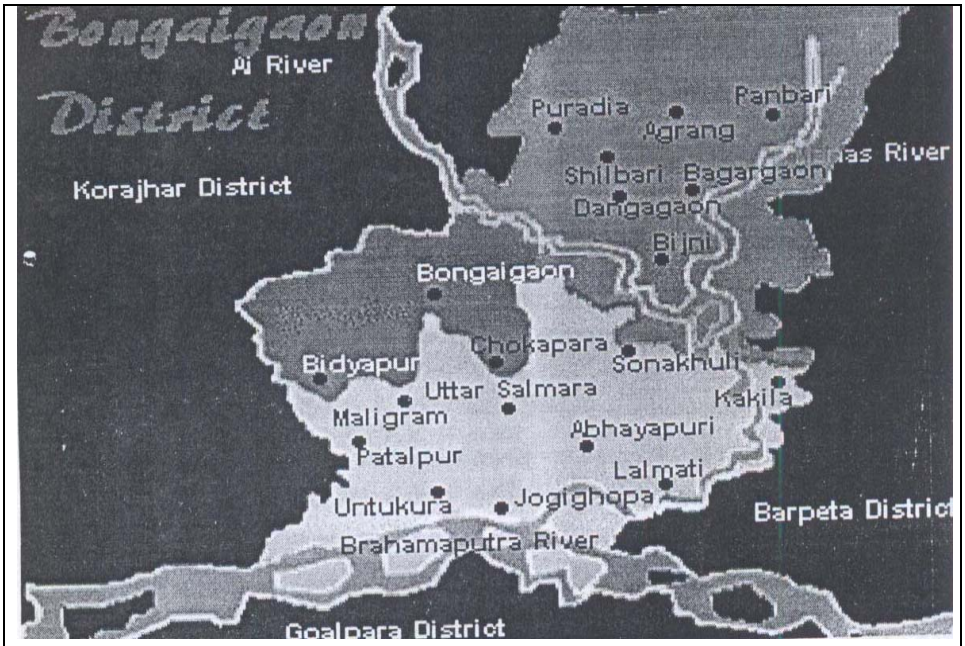

इराडे एकीकृत अनुसंधान एवं विकास कार्रवाई

दि. **28** फरवरी, **2007**

सी-**50**, छोटा सिंह ब्लॉक, एशियन गेम्स विलेज काम्प्लैक्स,

खेलगांव, नई दिल्ली-**1100045**,

भारत, दूरभाषः **911126495522**/टेलीफैक्स-**91.1126495523**

(**www.irade.org**)

रूरल इलेक्ट्रीफिकेशन कारपोरेशन लि.

(भारत सरकार का उपक्रम)

फ्रेंचाइजी प्रणाली का मूल्यांकन

बोंगाईगांव पर रिपोर्ट (असम)

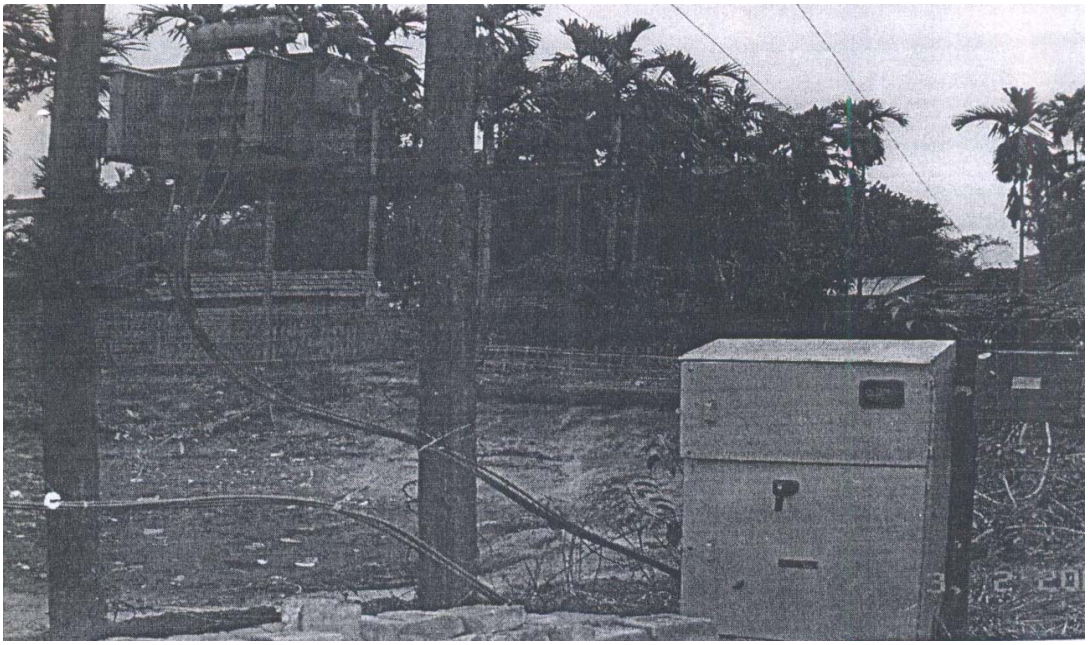

के नेतृत्व में

डा.के.के.गोविल

प्रो.ज्योति पारीख

टीम के सदस्य

श्री जी.एम.दास

चंपक बड़गोहैन

गुरीना बजाज

इराडे एकीकृत अनुसंधान एवं विकास कार्रवाई

दि. **28** फरवरी, **2007**

सी-**50**, छोटा सिंह ब्लॉक, एशियन गेम्स विलेज कॉम्प्लैक्स,

खेलगांव, नई दिल्ली-**1100045**,

भारत, दूरभाषः **911126495522**/टेलिफैक्स-**911126495523**

<u>विषय-वस्तु</u> पृष्ठ संख्या

I. **अभिस्वीकृति .....** **7**

II. **कार्यकारी सारांश .....** 8

1. **विद्युत वितरण प्रणाली-असम .....** 13
2. **गांवों में विद्युत वितरण .....** 14
3. **फ्रेंचाइजी प्रणाली की शुरूआत .....** 16-21

3 फ्रेंचाइजी की परिभाषा .....

3.1 सिंगल प्वाइंट सप्लाय स्कीम (एस पी पी एस) के लिए एजेंट/फ्रेंचाइजी नियुक्त करने के लाभ

3.2 एजेंट/फ्रेंचाइजी की व्यवस्था के लिए ए एस ई बी की एस पी पी एस स्कीम

3.3 एस पी पी एस के अंतर्गत डी टी आर के चयन हेतु मानदंड

3.3.1 एजेंट/फ्रेंचाइजी के लिए चयन संबंधी मानदंड

3.3.2 एजेंट/फ्रेंचाइजी के नियुक्ति संबंधी प्रक्रिया

3.3.3 एजेंट कार्य का आरंभ एवं समझौते की आवश्यकता

3.3.4 एजेंट/फ्रेंचाइजी की जिम्मेवारियां

3.3.5 एजेंट/फ्रेंचाइजी के प्रति एएसईबी की जिम्मेवारियां

3.4 एस पी पी एस स्कीम के अंतर्गत असम में एजेंटों/फ्रेंचाइजियों की प्रगति

4.0 राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना (आर जी जी वी वाई) पर विद्युत मंत्रालय के दिशानिर्देश 21

4.1 राज्यों की जिम्मेवारियां

4.2 आर जी जी वी वाई स्कीम में शामिल परियोजनाएं

4.3 फ्रेंचाइजी

4.4 राजस्व निरंतरता

4.5 केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों की सेवाएं

5 **आर ई सी के दिशानिर्देश.....** 26

5.1 ग्रामीण वितरण प्रबंधन में फ्रेंचाइजियों की भूमिका .....

5.2 फ्रेंचाइजी के विभिन्न मॉडल

6.0 राज्य में फ्रेंचाइजी प्रणाली के प्रचालन की स्थिति 26

7.0 सर्वेक्षण हेतु गांवों का चयन ....., 30

8.0 क्षेत्र सर्वेक्षण संचालित करने की विधि..... 30

8.1 सर्वेक्षण प्रारूप का निरूपण.....

8.2 अध्ययन कराने के लिए संस्थागत प्रणाली .....

8.3 गांवों में क्षेत्र सर्वेक्षण

8.4 सूचना एकत्रण एवं निष्कर्ष.....

9.0 सर्वेक्षण किए गए गांवों पर आंकड़े एवं सूचना 33

10.0 सैम्पल सर्वेक्षण परिणामों की व्याख्या 34

11.0 फ्रेंचाइजी प्रणाली का प्रचालन 35

11.1 नियुक्ति का तरीका

11.2 चयन में पारदर्शिता

11.3 प्रलेखन/समझौता

11.4 प्रतिभूति जमा

11.5 प्रचालन संबंधी अनुभव/समस्याएं

12.0 फ्रेंचाइजी प्रणाली का प्रभाव..... 36

12.1 बिलिंग

12.2 राजस्व संग्रहण

12.3 उपभोक्ता संतुष्टि

12.4 वितरण प्रणाली प्रबंधन

12.5 वितरण प्रणाली

12.6 फ्रेंचाइजी द्वारा जारी कनेक्शन

12.7 रोजगार सृजन

13.0 प्रशिक्षण की आवश्यकता और फ्रेंचाइजी..... 40

14.0 फ्रेंचाइजी प्रणाली का निदर्श एवं प्रकार 42

15.0 राजस्व निरंतरता 42

15.1 थोक आपूर्ति टैरिफ

15.2 प्रतिस्पर्धात्मक बोली

15.3 राज्यों द्वारा राजस्व सब्सिडी

16.0 असम में आर जी जी वी वाई 44

17.0 फ्रेंचाइजी प्रणाली के फलस्वरूप सुधार 45

18.0 प्रौद्योगिकी सुधार 45

19.0 सभी को विद्युत की उपलब्धता एवं बी पी एल कनेक्शन **46**

20.0 फ्रेंचाइजी प्रणाली के लिए मॉनीटरिंग तंत्र 46

21.0 फ्रेंचाइजी प्रणाली के विकल्प 47

22.0 फ्रेंचाइजी प्रणाली की सफलता 48

22.1 दिशानिर्देशों का पालन

22.2 लक्ष्यों को प्राप्त करने में सफलता

23.0 निष्कर्ष..... 49

24.0 टेबल..... 51

(i) टेबल 1 : फ्रेंचाइजी का मासिक व्यय (रु. में)

(ii) टेबल 2 : फ्रेंचाइजी द्वारा उपभोक्ताओं से मासिक प्राप्ति (रु. में)

(iii) टेबल 3 : फ्रेंचाइजी द्वारा यूटिलिटी को मासिक भुगतान (रु. में)

(iv) टेबल 4 : गांवों में प्रयुक्त विद्युत उपकरण

(v) टेबल 5 : फ्रेंचाइजी की देखरेख वाले कार्य

(vi) टेबल 6 : फ्रेंचाइजी - प्रतिक्रिया

(vii) टेबल 7 : फ्रेंचाइजी का प्रभाव - सर्वेक्षण

(viii) टेबल 8 : मीटर रीडिंग एवं बिलिंग

(ix) टेबल 9 : उपभोक्ताओं का मीटरीकरण

(x) टेबल 10 : उपभोक्ताओं के लिए प्रदत्त मीटर

(xi) टेबल 11 : गांव में विद्युत अवसरंचना

(xii) टेबल 12 : फ्रेंचाइजी की समस्या

(xiii) टेबल 13 : मीटरीकरण का प्रावधान

(xiv) टेबल 14 : विद्युतीकरण प्रमाणपत्र-फ्रेंचाइजी

(xv) टेबल 15 : संग्रहण सुविधा

(xvi) टेबल 16 : उपभोक्ताओं की प्रतिक्रिया

(xvii) टेबल 17 : प्रबंधन पर राय-ग्राम पंचायत

(xviii) टेबल 18 : फ्रेंचाइजी का नाम बनाम कर्मचारियों की संख्या

अभिस्वीकृति

' असम में फ्रेंचाइजी प्रणाली का मूल्यांकन ' नामक अध्ययन कराने के लिए वित्तीय सहायता देने हेतु हम रूरल इलेक्ट्रीफिकेशन कारपोरेशन (भारत सरकार का उपक्रम) के प्रति आभारी हैं । आई आर ए डी ई (इराडे) टीम को प्राथमिक सूचना एकत्र करने में मदद करने के लिए हम विद्युत विभाग, असम के कर्मचारियों के प्रति भी आभार प्रकट करते हैं । साथ ही हम अन्य अनेक विशेषज्ञों को भी धन्यवाद देते हैं, जिनके बहुमूल्य सुझाव एवं दिशानिर्देश हमारे अध्ययन का स्तर बनाए रखने में काफी महत्वपूर्ण थे ।'

कार्यकारी सारांश

रूरल इलेक्ट्रीफिकेशन कारपोरेशन लिमिटेड (भारत सरकार का उपक्रम), विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार ने असम राज्य में बोंगाईगांव (जिला) वितरण सर्किल में चुनिंदा गांवों के अध्ययन के जरिये प्रचालनाधीन फ्रेंचाइजी प्रणाली का मूल्यांकन करने की इच्छा व्यक्तकी है ।

फ्रेंचाइजी प्रणाली की तैनाती ग्रामीण विद्युत वितरण प्रणाली के प्रबंधन के लिए की गई है और यह आर जी जी वी वाय के अंतर्गत आर ई सी के जरिए प्राप्त होने वाली सब्सिजी प्राप्त करने के लिए ग्रामीण विद्युत वितरण बैकबोन एवं ग्रामीण विद्युतीकरण अवसरंचना परियोजनाओं के मामले में अनिवार्य बना दिया गया है । राजीव गाँधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना (आर जी जी वी वाय) का क्रियान्वयन आर ई सी के जरिये किया जा रहा है, जो ग्रामीण विद्युतीकरण के लिए अनुदान/निधि प्रदान करता है ।

1. फ्रेंचाइजी प्रणाली का अध्ययन बोंगाईगांव जिले में उन 38 गांवों में से यादृच्छिक रूप से चुने गए 16 गांवों में क्षेत्र सर्वेक्षण के द्वारा किया गया, जिनमें फ्रैंचाइजी काम कर रहे हैं । इन सभी 16 गांवों में सर्वेक्षण पूरा कर लिया गया है ।

2. असम में फ्रेंचाइजी निजी उद्यमी हैं और इन्होंने आर जी जी वी वाय स्कीम के शुरू होने से पहले ही वर्ष 2003 में काम करना शुरू कर दिया था । सिंगल प्वाइंट पावर सप्लाइ (सी पी पी एस) स्कीम के अंतर्गत वितरण ट्रंफॉर्मर के एल टी साइड में मापी गई विद्युत ऊर्जा वितरण ट्रंसफॉर्मर के कमांड क्षेत्र में राजस्व संग्रहण के लिए फ्रेंचाइजी (एजेंट) को दी जाती है ।

3. फ्रेंचाइजियों की जिम्मेवारियों में मीटर रीडिंग एवं बिलिंग, राजस्व संग्रहण तथा यूटिलिटी को धन-प्रेषण, वाणिज्यिक एवं बिलिंग शिकायतों का समाधान, वैद्युत प्रणाली की स्थिति पर युटिलिटी को प्रतिक्रिया जानकारी देना तथा नये सेवा कनेक्शन जारी करने में मदद करना शामिल है ।

4. फ्रेंचाइजी आर ई सी के दिशानिर्देशों के मॉडल त्बी- में आते हैं और ये विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार के दिनांक 18.03.06 के कार्यालय ज्ञापन के अनुसार कार्य करते हैं ।

5. फ्रेंचाइजियों का चयन असम राज्य विद्युत बोर्ड/एल ए ई डी सी एल की निर्धारित प्रक्रिया एवं दिशानिर्देशों के आधार पर किया जाता है । फ्रेंचाइजी विकास के आरंभिक चरणों में हैं । फ्रेंचाइजी द्वारा दिखाई गई तत्परता एवं प्रयास उनके चयन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है क्योंकि इनका चयन किसी खास सबडिविजन या ब्लॉक में कार्य करने के

इच्छुक लोगों में से ही गुणात्मक मापदंडों के आधार पर किया जाता है । इनकी चयन प्रक्रिया पारदर्शी मानी जाती है, किन्तु प्रतिस्पर्धा एवं मात्रात्मक मापदंडों को अपनाकर इसमें और अधिक सुधार लाना संभव है ।

6. फ्रेंचाइजी का सेवा खर्च वितरण ट्रंसफॉर्मर आउटलेट से आपूर्त कुल विद्युत में 10% की तकनीकी क्षति को छोड़ते हुए घरेलू/गैर-धरेलू उपभोक्ताओं के लिए कुल बिल राशि पर 15% कमीशन देकर पूरा किया जाता है ।

7. कुछ फ्रेंचाइजियों ने कमीशन की दर बढ़ाने की मांग की है, किन्तु राजस्व निरंतरता तथा राज्यों पर सब्सिडी के बोझ कम करने के उद्देश्य से वर्तमान में फ्रेंचाइजियों को दिया जा रहा कमीशन उचित माना गया है। किन्तु प्रत्येक फ्रेंचाइजी को पर्याप्त कार्य मिलना चाहिए ताकि उनका प्रचालन वाणिज्यिक रूप से संवहनीय हो ।

8. असम में काफी संख्या में फ्रेंचाइजी कार्य कर रहे हैं । ये सभी फ्रेंचाइजी एस पी पी एस स्कीम पर कार्यरत हैं । एक ही एजेंट/फ्रेंचाइजी अनेक वितरण ट्रंसफॉर्मरों पर कार्य कर रहे हैं ताकि उसका प्रचालन सतत बना रहे ।

9. आम तौर पर फ्रेंचाइजियों का दो वर्ष का ठेका होता है । इस दौरान उनकी सेवाएं रोकी जा सकती है या वे स्वयं सेवा बंद करने का फैसला कर सकते हैं । इसमें कुछ फ्रेंचाइजियों की चूक करने का रूझान था और कुछ ने कार्य-क्षेत्र छोड़ दिया था जिसके बाद गांव या डी टी आर का नियंत्रण पुनःएएसईबी के हाथ में चला गया । हालांकि अधिकांश मामलों में फ्रेंचाइजी बहुत अच्छी तरह से कार्य कर रहे हैं। उपभोक्ताओं को भी उपभोक्ता सहकारी गठित करने के लिए प्रोत्साहित किया जा सकता है और कुछ उपभोक्ता फ्रेंचाइजी सेवा भी दे सकते हैं । इससे प्रणाली और भी अधिक सुदृढ़ बनेगी ।

10. निदर्श गांवों में कार्यरत एक ही फ्रेंचाइजी/एजेंट अनेक वितरण ट्रंसफॉर्मरों पर कार्य करते हैं । फ्रेंचाइजी की वित्तीय व्यवहार्यता में सुधार की दृष्टि से इसे एक स्वस्थ प्रवृत्ति माना जाता है । कुशलता से कार्य-निष्पादन कर रहे फ्रेंचाइजियों को और भी बड़े पैमाने पर प्रचालन-कार्य दिया जा सकता है ताकि उनकी राजस्व संवहनीयता में वृद्धि हो सके । एक अन्य पहलू जिस पर ध्यान देने की जरूरत है, वह यह है कि क्या वितरण प्रणाली में ठोस विकासकारी सिद्धांतों के द्वारा सुधार लाया जा सकता है ताकि तकनीकी क्षतियों में कमी हो सके । इस उद्देश्य से वितरण ट्रंसफॉर्मरों को इस प्रकार स्थापित करना चाहिए कि वे लोड प्वाइंट के पास स्थित हों ।

11. अधिकांश फ्रेंचाइजी विद्युत व्यवधान तथा विद्युत आपूर्ति में कमी की शिकायत करते हैं । विद्युत आपूर्ति प्रतिदिन औसत रूप से 15 घंटे होती है । राज्य ग्रिड से विद्युत आपूर्ति में वृद्धि करने के उपाय ढूंढ़ने होंगे ताकि फ्रेंचाइजियों के व्यवसाय में वृद्धि हो सके ।

12. असम में सुदूर एवं ग्रामीण क्षेत्रों में विद्युत वितरण कार्य शुरू करने के लिए फ्रेंचाइजियों को मुख्यतः ए एस ई बी ने प्रोत्साहित किया । ग्रामीण क्षेत्रों में वितरण प्रणाली के सुचारू प्रबंधन के लिए ए एस ई बी/एल ए ई डी सी एल के अंग के रूप में कार्य करने के लिए पर्याप्त तकनीकी एवं वाणिज्यिक समझ नहीं होती है । ए एस ई बी द्वारा फ्रेंचाइजियों के लिए एक गहन प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया जाना बाकी है जिससे कि वे और अधिक कारगर तरीके से अपना कार्य करे सकें । आवश्यकता इस बात की है कि एक ट्रेनिंग कार्यक्रम तैयार कर असम में कार्यरत फ्रेंचाइजियों को प्रशिक्षित किया जाए ।

13. बोंगाईगांव वितरण सर्किल में निदर्श गांवों के क्षेत्र सर्वेक्षण से पता चलता है कि कुल आपूर्ति की गई यूनिटों की औसत बिलिंग लगभग 87-90% है, जो एक बहुत अच्छा संकेत है । राजस्व संग्रहण के मामले में फ्रेंचाइजियों ने ग्रामीण क्षेत्रों में निश्चित रूप से अच्छे परिणाम हासिल किए हैं ।

14. आरजीजीवीवाई स्कीम को असम में क्रियान्वित किया जाना बाकी है । इसमें इसलिए विलंब हुआ क्योंकि असम के गांव अधिकांशतः विद्युतीकृत थे, अतः विद्युतविहीन हुए गांवों को आरजीजीवीवाई परियोजनाओं के अंतर्गत शामिल किया जा रहा है । इस कारण से तथा साथ ही असम के बोंगाईगांव जिले में गांवों की आर्थिक स्थिति बेहतर होने के कारण यहां पर बीपीएल कनेक्शन नहीं के बराबर हैं। फ्रेंचाइजियों ने आरजीजीवीवाई लागू होने के पूर्व ग्राम विद्युतीकरण के लिए कार्य करना शुरू कर दिया था, जो गांवों में इनसे काफी संतुष्ट उपभोक्ताओं को देखकर पता चलता है ।

15. निदर्श गांवों में यह देखा गया कि ग्राम पंचायत द्वारा जारी विद्युतीकरण प्रमाणपत्र लगभग 100% विद्युतीकरण करने के बाद लिए गए थे और उन उपभोक्ताओं की विद्युत की पहुंच 34% आवासों तक थी जिनका घरेलू कनेक्शन था । यदि विद्युत की कमी पर अंकुश लगाया जा सके तो उपभोक्ताओं में गहन विद्युतीकरण संभव है।

16. थोक आपूर्ति टैरिफ (बी एस टी) की शुरूआत तथा विद्युत बिक्री आधारित फ्रेंचाइजी प्रणाली अभी असम में आरंभ होना बाकी है । यह तभी संभव हो पाएगा जब फ्रेंचाइजी तकनीकी एवं वाणिज्यिक रूप से ठोस (इकाई) बन जाएं ।

17. फ्रेंचाइजियों ने अपनी वाणिज्यिक व्यवहार्यता कायम रखने के लिए अधिक क्षति पर भत्ता तथा कमीशन की ऊंची दर की मांग शुरू कर दी है । फ्रेंचाइजी प्रचालन के कारगर मॉडल तैयार करने की आवश्यकता है ताकि एएसईबी फ्रेंचाइजी प्रचालन के लाभ को बनाए रख सके ।

18. निदर्श गांवों में स्वयं के लिए तथा गांवों के आर्थिक विकास हेतु रोजगार पैदा करने में फ्रेंचाइजियों के प्रभाव से 18600 की कुल आबादी प्रोत्साहित हुई है । प्रति व्यक्तिविद्युत खपत के 10 यूनिट प्रति वर्ष से बढ़कर 20 यूनिट प्रति वर्ष हो जाने का अनुमान है ।

19. **उपयुक्त फ्रेंचाइजी मॉडलः** पूरे असम में गांवों के लिए सिंगल प्वाइंट पावर सप्लाय (एस.पी.पी.एस.) स्कीम फ्रेंचाइजी मॉडल के रूप में चलाई जा रही है । वर्तमान व्यवस्था के अंतर्गत डी.टी.आर आउटलेट में 100 यूनिट में से 90 यूनिट की बिलिंग किए जाने की आशा है तथा कुल बिल की गई बिजली का 15% अर्थात 13.5 यूनिट फ्रेंचाइजी को कमीशन के रूप में दिया जाता है । इस प्रकार फ्रेंचाइजी से एस.पी.पी.एस. के रूप में आपूर्ति की गई ऊर्जा का 23.5% तक यूटिलिटी को हानि होती है । इस क्षति में से यूटिलिटी को लाभ जनशक्ति लागत में बचत के रूप में होती है और यदि फ्रेंचाइजी के कार्य-क्षेत्र में दैनिक अनुरक्षण कार्य शामिल किया जाए तो इससे दैनिक प्रचालन एवं अनुरक्षण (ओ एंड एम) लागत में भी बचत हो सकती है । भारत में राज्य की वितरण कंपनियों में कर्मचारी प्रचालन एवं अनुरक्षण लागत बिल की जाने वाली न्यूनतम राशि के 5.4% से 9.6% के बीच होती है । मौजूदा अकुशलता वाले परिदृश्य में भी कर्मचारी प्रचालन एवं अनुरक्षण लागत पर व्यय 90% से कम है। डी.टी.आर के डाउनस्ट्रीम में 10% की अनुमानित तकनीकी हानि भी सर्वथा अकुशल प्रणाली में होने वाली क्षति की प्रतिपूर्ति करने के लिए पर्याप्त है। ग्रामीण क्षेत्रों में फ्रेंचाइजियों के राजस्व संवहनीयता के लिए असम फ्रेंचाइजी मॉडल में पर्याप्त गुंजाइश है । हालांकि लाभ में समुचित वृद्धि करने के लिए इनके प्रचालन का विस्तार किया जाना चाहिए । एस.पी.पी.एस. स्कीम के अंतर्गत आपूर्ति की जा रही विद्युत की मात्रा को या तो 11 के वी फीडर से या गाँव/डी.टी.आर. के समूह से जोड़ा जाना चाहिए ।

20. **नयी प्रौद्योगिकी** राजस्व प्रबंधन प्रक्रिया के मानकीकरण के लिए ग्रामीण फ्रेंचाइजियों हेतु ए.एस.ई.बी. फ्रेंचाइजी बिलिंग टूल्स (एफ.बी.टी.) विकसित करने के लिए प्राइस वाटरकूपर्स की सेवाएं ले रहा है । साथ ही इसे फ्रेंचाइजी कार्य-निष्पादन प्रबंधन प्रणाली

के साथ भी जोड़ा जा रहा है । वर्तमान औसत एवं कम वोल्टेज वाले इलेक्ट्रिक ग्रिड की तुलना में पूर्णतः एकीकृत कुशल अनुप्रयोग एवं वाणिज्यिक ब्राड बैंड संचार को इंटेलिजेंट ब्राडबैंड पावर लाइन/पावर लाइन कम्यूनिकेशन सिस्टम के द्वारा उपलब्ध कराना संभव है । ब्राडबैंड पावर लाइन को पावरग्रिड नेटवर्क में विद्युत की आवश्यकता नहीं होती है किन्तु कार्य करने के लिए इसे वैकल्पिक विद्युत (सोलर या यू.पी.एस.) की आवश्यकता पड़ती है । बी.पी.एल./वी.एल.सी. प्रणाली के जरिए ई-मेल सेवा, आई पी आधारित टेलीफोनी तथा डाटा कनेक्टिविटी संभव है । ग्रामीण क्षेत्रों में वर्तमान में इस प्रौद्योगिकी सुविधा के उपयोग के लिए पर्याप्त ज्ञान एवं कौशल नहीं होने के बावजूद गांवों में फ्रेंचाइजी के लिए स्थायी रूप से एकीकृत व्यवसाय के अवसर हेतु विद्युत वितरण से संबंधित कम्यूनिकेशन शुरू किया जा सकता है ।

21. **आपूर्ति की गुणवत्ता में सुधारः** सामान्य रूप से सभी फ्रेंचाइजी अपने व्यवसाय का विस्तार करने को इच्छुक थे । उन्होंने गांवों में नये घरेलू तथा वाणिज्यिक एवं औद्योगिक उपभोक्ता जुटाने की आवश्यकता महसूस की । इसे व्यवहार्य बनाने के लिए उन्होंने विद्युत चोरी कम करने में काफी योगदान किया है । अधिकांश गांवों मे अनधिकृत खपत को घटाकर 5% से भी कम कर लिया गया है । कानून-व्यवस्था प्राधिकारियों के त्वरित एवं कारगर सहयोग से विद्युत चोरी को समाप्त किया जा सकता है । लगभग सभी फ्रेंचाइजी मानते है कि यदि उन्हें नये कनेक्शन प्रदान करने का पूरी अधिकार दिया जाय तो वे विद्युत चोरी को और अधिक प्रभावी तरीके से कम कर सकते हैं । चोरी में कमी तथा खराबियों एवं रूकावटों पर समय पर ध्यान देने से विद्युत आपूर्ति की गुणवत्ता मे काफी सुधार हुआ है । इसके बावजूद आपूर्ति की कह्मी के कारण विद्युत कटौती एवं आपूर्ति में बाधा प्रतिदिन होती रहती है । इस कारण आपूर्ति की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए फ्रेंचाइजियों के योगदान के अलावा विद्युत उत्पादन की क्षमता में वृद्धि करना भी आवश्यक है ।

22. **फ्रेंचाइजी का प्रभावः** फ्रेंचाइजी स्थानीय लोगों की सेवाएं लेते हैं । फ्रेंचाइजियों के द्वारा बिलिंग एवं राजस्व संग्रहण में उल्लेखनीय सुधार हुआ है । वे अपने कार्यो का विस्तार करने को भी इच्छुक है । प्रणाली के सुदृढ़ीकरण के द्वारा बढ़ती हुई मांग को पूरा करने की फ्रेंचाइजियों की भावी भोजना अव्यवहार्य प्रणाली (नेटवर्क) की वजह से नहीं हो सकी है । प्रणाली में उत्पन्न ख़राबियों एवं इनकी मरम्मत करने में लिए जाने वाले समय के अंतर में काफी कमी आयी है ।

1. **विद्युत वितरण प्रणाली-असमः**

असम राज्य विद्युत बोर्ड (ए.एस.ई.बी) का गठन वर्ष 1958 में असम में विद्युत (आपूर्ति) अधिनियम,1948 के अंतर्गत किया गया था । असम का क्षेत्रफल लगभग 78500 वर्ग किलोमीटर तथा आबादी 27 मिलियन है । असम में 28 जिले हैं जिनमें 87 शहर तथा 26247 गांव हैं (2001 की जनगणना) ।

ए.एस.ई.बी. असम में अभी हाल तक (2004) विद्युत उत्पादन पारेषण एवं वितरण समेत संपूर्ण विद्युत क्षेत्र का प्रबंधन कर रहा था । ए.एस.ई.बी. को हाल ही में विद्युत उत्पादन पारेषण एवं वितरण कार्य के लिए पांच कंपनियों के रूप में पुनर्गठित किया गया है

1. असम पावर जेनरेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड (जेनको)
2. असम इलेक्ट्रिसिटी ट्रंसमिशन कॉरपोरेशन लिमिटेड (ट्रंसको)
3. अपर असम इलेक्ट्रिसिटी वितरण कंपनी लिमिटेड (डिस्कॉम)
4. लोअर असम इलेक्ट्रिसिटी कंपनी लिमिटेड (डिस्कॉम)
5. सेन्ट्रल असम इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीव्यूशन कंपनी लिमिटेड (डिस्कॉम)

अपर असम, लोअर असम और सेन्ट्रल असम में तीन वितरण कंपनियां वितरण प्रणाली का प्रबंधन करती हैं ।

ए.एस.ई.बी. एक मिलियन से भी अधिक उपभोक्ताओं को अपनी सेवाएं प्रदान करता है तथा असम में सभी बड़ी आबादी वाले केंद्रों तथा लगभग 70 ग्रामीण आबादी को विद्युत उपलब्ध कराता है । वर्तमान में अनुमान है कि ग्रामीण आवासों का केवल 20औ ही विद्युतीकृत है (2005) ।

असम में ए.एस.ई.बी. ने ग्रामीण विद्युतीकरण कार्य एक कार्यपालक अभियंता के नेतृत्व में वर्ष 1966-67 में शुरू किया । अब ग्रामीण विद्युतीकरण कार्य के प्रमुख एक मुख्य अभियंता हैं ।

राष्ट्रीय ग्रामीण विद्युतीकरण नीति, 2004 तथा राज्य ग्रामीण विद्युतीकरण नीति, 2005 का लक्ष्य वर्ष 2007 तक सभी गांवों का विद्युतीकरण तथा वर्ष 2012 तक सभी आवासों में विद्युत पहुंचाना है ।

2. <u>गांवों में विद्युत वितरणः</u>

ग्रामीण विद्युतीकरण तथा गांवों के विद्युतीकरण में छोटे-छोटे लोड को फीड करना शामिल होता है, जो भौगोलिक रूप से बिखरे हुए हो सकते हैं या नहीं भी। फलस्वरूप इसमें अपेक्षित लाभ की तुलना में अवसंरचना लागत अधिक होने की संभावना होती है । इस कारण ग्राम विद्युतीकरण प्रणाली के वाणिज्यिक प्रचालन की व्यावहारिकता पर सवाल खड़े हो गए हैं । ग्रामीण क्षेत्रों में सिंचाई पंपसेटो को (निश्चित दर पर) अत्यंत रियायती विद्युत की आपूर्ति तथा गांवों में घरेलू भार नहीं होने पर भी वितरण प्रणाली के विस्तार के कारण विद्युत चोरी/क्षति बढ़ गई, जिसके कारण अधिकांश राज्य विद्युत बोर्ड दिवालिया हो गए । इस कारण विद्युत अधिनियम, 2003 के लागू होने के पश्चात वाणिज्यिक रूप से संवहनीय एक ग्रामीण विद्युतीकरण कार्यक्रम आवश्यक हो गया क्योंकि उक्त अधिनियम के लागू होने के बाद राज्य विद्युत बोर्डों का पृथक्करण कर दिया गया और भारत सरकार ने 2012 तक सभी घरों में बिजली पहुँचाने के लिए एक नीति की घोषणा की है । इस नीति के लक्ष्य है

- सभी गांवों एवं **बसावट** वाले स्थानों में 2007 तक विद्युत उपलब्ध कराना ।
- वर्षों, अर्थात 2010 तक सभी घरों (ग्रामीण घरों समेत) में विद्युत की उपलब्धता ।
- देर से देर 2012 तक गरीबी रेखा से नीचे के सभी लोगों को विद्युत कनेक्शन (नःशुल्क) ।

इस प्रकार भारत सरकार ने अप्रैल,2005 मे राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना (आर.जी.जी.वी.वाई) शुरू की और रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन (आर.ई.सी.) को इसकी नोडल एजेंसी बनाया । आर.ई.सी. के क्रियान्वयन के अधीन ग्रामीण विद्युतीकरण के जारी कार्यक्रमः-

- एक लाख गांवों एवं एक करोड़ घरों का त्वरित विद्युतीकरण, और
- गांवों के लिए न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम

को आर.जी.जी.वी.वाई में मिला दिया गया ताकि गांवों में विद्युत अवसंरचना विकसित की जा सके ।

विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार ने प्रत्येक गांव में विद्युत अवसंरचना का निर्माण करने के लिए आर.ई.सी के जरिए आर.जी.जी.वी.वाई के अंतर्गत राज्यों को समुचित अनुदान दिया । इन अनुदानों का उपयोग निम्नलिखित की स्थापना के लिए मुख्य रूप से किया गयाः

(क) प्रत्येक ब्लॉक में कम से कम 33/11 के वी (या 66/11 के वी) के एक उप-केन्द्र के साथ ग्रामीण विद्युत वितरण बैकबोन (आर.ई.डी.बी)

(ख) प्रत्येक गाँव/बसे हुए स्थान में कम से कम एक वितरण ट्रंसफॉर्मर के साथ ग्राम विद्युतीकरण अवसंरचना

(ग) विकेन्द्रित वितरित विद्युत उत्पादन प्रणाली, जहां ग्रिड आपूर्ति व्यवहार्य या लागत प्रभावी नहीं है ।

गांव के विद्युत वितरण कार्य के लिए ग्रामीण विद्युत अवसंरचना प्रथम आवश्यकता है और आर.जी.जी.वी.वाई कार्यक्रम का उद्देश्य गांवों में रहन सहन बेहतर बनाना है । इस प्रकार इसका उद्देश्य गांवों में आर्थिक गतिविधि इस प्रकार शुरू करना है ताकि यह वाणिज्यिक रूप से संवहनीय बन सके । ग्राम विद्युत अवसरंचना निर्माण का उद्देश्य है

- ग्रामीण विकास
- कृषि के लिए सिंचाई
- लघु उद्योगों को बढ़ावा
- शिक्षा एवं सूचना प्रौद्योगिकी को सहायता
- स्वास्थ्य-सेवा को प्रोत्साहन
- कोल्ड स्टोरेज एवं कृषि उत्पादों का संरक्षण
- रोजगार सृजन
- गरीबी मिटाना
- पेय जल की सुविधा

गांवों की तरक्की एवं विकास के लिए आर.ई.आई. की निरंतरता आवश्यक है ताकि उपर्युक्त आर्थिक कार्यों को गति प्रदान की जा सके । यह निम्नलिखित दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है

1. विद्युत वितरण के लिए आर.ई.आई. का समुचित रखरखाव होना चाहिए ताकि समय के साथ यह अधिक से अधिक उपभोक्ताओं की विद्युत मांग पूरा कर पाए ।

2. आपूर्त विद्युत के लिए भुगतान होना चाहिए ताकि गांव में विद्युत उत्पादन एवं आपूर्ति बरकरार रखने के लिए निधि की व्यवस्था रहे ।

3. जिन गांवों में वितरण प्रबंधन प्रणाली है, उसे वहां पर वाणिज्यिक रूप से व्यावहारिक होना चाहिए । यूटिलिटियों के व्यय की पूर्ति प्रत्येक गांव में प्राप्त राजस्व से की जानी चाहिए ।

यद्यपि भारत में ग्रामीण विद्युतीकरण 1966-67 में शुरू हुआ था और लगभग 80% गांवों में विद्युत अवसरंचना तैयार की गई थी, किन्तु वाणिज्यिक संवहनीयता के अभाव में इसमें उपलब्धि बहुत कम हासिल हुई । विद्युत अधिनियम, 2003 के पारित होने के पश्चात् आर.जी.जी.वी.वाई के शुरू किए जाने का उद्देश्य कारगर तरीके से ग्रामीण विद्युतीकरण करना है ।

3.0 फ्रेंचाइजी प्रणाली की शुरूआतः

असम राज्य में फ्रेंचाइजी प्रणाली अपर असम के डिग्बोई डिवीजन से शुरू हुई । डिग्बोई डिवीजन में हुए प्रारंभिक अध्ययन से पता चला कि इस डिवीजन के प्रत्येक सब-डिवीजन में 70% से भी अधिक राजस्व ग्रामीण क्षेत्र से प्राप्त हुई थी ।

ए.एस.ई.बी प्रणाली में राजस्व संग्रहण में सुधार करने के लिए ए.एस.ई.बी ने 2001 में ही सिंगल प्रिंट पावर सप्लाय स्कीम तैयार की थी । डिग्बोई में खराब राजस्व संग्रहण से एस.पी.पी.एस. को वर्ष 2003 में **मारघेरिता सब-डिवीजन** में भी शुरू करने का प्रोत्साहन मिला। एस.पी.पी.एस. को शुरू करने के लिए ' प्रायोगिक परियोजना ' के रूप में 16 के वी ए से लेकर 100 के वी ए के वितरण ट्रंसफॉर्मर में मीटर लगाए गए, जो 22 गांवों को विद्युत आपूर्ति करते हैं ।

3.1 फ्रेंचाइजी की परिभाषाः

एक व्यक्ति या एन्टिटी (इकाई) के रूप में फ्रेंचाइजी को व्यवसाय करने में मुख्य एन्टिटी का सहायक माना जाता है और उसे इस प्रकार परिभाषित किया जा सकता है वह व्यक्ति, समूह या व्यावसायिक एन्टिटी जिसे विद्युत वितरण कार्य का विशेष अधिकार प्राप्त हो, एन्टिटी के ट्रेडमार्क के अंतर्गत किसी क्षेत्र में अपने उत्पाद एवं सेवाओं का विपणन करने के लिए अन्य शक्ति प्राप्त एन्टिटी की शक्ति का प्रयोग कर सके । इसके अंतर्गत मुख्य एन्टिटी द्वारा तैयार नियमों एवं प्रक्रियाओं का उपयोग भी शामिल है । सेवा एवं सुविधाएं शुल्क, रॉयल्टी या अन्य उचित मुआवजे के बदले मुख्य एन्टिटी द्वारा उपलब्ध कराई जाती हैं ।

ए.एस.ई.बी. ने सिंगल प्वाइंट पावर सप्लाय स्कीम में 'एजेंट ' नाम से फ्रेंचाइजी प्रणाली शुरू की । अपर मुख्य अभियंता (वाणिज्यिक), ए.एस.ई.बी. द्वारा दि. 3.11.2004 को मुख्य कार्यपालक अधिकारियों तथा ए.एस.ई.बी. के इलेक्ट्रिकल सर्किल के राज्य अभियंताओं को जारी परिपत्र में स्कीम का नाम ' एजेंट के जरिए ग्रामीण क्षेत्रों में राजस्व संग्रहण ' रखा गया । उक्त स्कीम को दि. 16.10.04 के संकल्प संख्या 19 द्वारा ए.एस.ई.बी. ने अनुमोदन प्रदान किया।

3.2 सिंगल प्वाइंट सप्लाय स्कीम (एस.पी.पी.एस) के लिए एजेंट/फ्रेंचाइजी नियुक्तकरने के लाभः

ए.एस.ई.बी. के दृष्टिकोण से सिंगल प्वाइंट सप्लाय स्कीम (एस.पी.पी.एस.) को लागू करने के लिए एजेंट/फ्रेंचाइजी प्रणाली शुरू की गई ताकि निम्नलिखित तार्किक आधार पर उपभोक्ताओं की बेहतर संतुष्टि और अधिक राजस्व संग्रहण हो सके

- उपभोक्ताओं को उनके गांव में मौजूद एजेंट से संपर्क करना था । उपभोक्ताओं को भुगतान करने के लिए सुदूर स्थित यूटिलिटी कार्यालयों (30 किमी तक) में नहीं जाकर बहुत कम दूरी तय करनी पड़ती थी ।
- 30 दिन में बिल तैयार करने तथा समय पर बिलों के वितरण से मीटर रीडिंग/बिलिंग में काफी तेजी आ गई ।
- फ्यूज कॉल सेवा तथा आपूर्ति तुंत बहाल करने जैसे कार्यों के लिए स्त्र् एजेंट ु दरवाजे पर उपलब्ध था ।
- रोजगार सृजन हुआ और यूटीलिटी की तुलना में स्त्र् एजेंट ु और उपभोक्ताओं के बीच कॉफी अच्छा तालमेल था।

3.3 एजेंट/फ्रेंचाइजी की व्यवस्था के लिए ए.एस.ई.बी. की एस.पी.वी. एस स्कीम

एस.पी.पी.एस स्कीम में ए.एस.ई.बी. स्थानीय एजेंट को बिलिंग तथा गांव या गांवों को वितरण ट्रांसफॉर्मर के जरिये आपूर्ति की गई विद्युत के लिए राजस्व संग्रहण करने की पूरी जिम्मेवारी के साथ फ्रेंचाइजी के रूप में नियुक्तकरता है। इसके लिए वितरण ट्रांसफॉर्मर के एल.टी. साइड में एक मीटर लगा होता है जो स्त्र् एजेंट ु को आपूर्ति की गई बिजली की मात्रा का आकलन करता है और यह स्त्र् एजेंट ु के कमीशन को काटने के बाढ़ ए.एस.ई.बी. को भुगतान किये जाने वाले राजस्व का आधार बनता है ।

3.3.1 एस.पी.पी.एस के अंतर्गत डी.टी.आर के चयन हेतु मानदंड

एस.पी.पी.एस. स्कीम को निम्नलिखित मापदंडों के अंतर्गत चुनिंदा वितरण ट्रंसफर्मरों पर लागू किया गयाः

- ग्रामीण क्षेत्रों के वितरण ट्रंसफर्मर जो किसी नगरपालिका या शहर समिति में शामिल नहीं थे, उन्हें इनमें शामिल किया गया
- आरंभ में 100 के वी ए आकार तक के ट्रंसफॉर्मरों को शामिल किया गया जिसे अब बढ़ाकर 250 के वी ए कर दिया गया है ।

- एस.पी.पी.एस. में केवल ऐसे ही वितरण ट्रंसफर्मर शामिल हैं जहाँ संयोजित भार का कम से कम 80% घरेलू भार है ।
- फिलहाल ग्रामीण क्षेत्रों में प्रत्येक फील्ड सबडिवीजन में कुल वितरण ट्रंसफार्मरों का केवल 25% स्कीम में शामिल है ।

3.3.2 <u>एजेंट/फ्रेंचाइजी के लिए चयन संबंधी मानदंड</u>

एस.पी.पी.एस के लिए एजेंटो/एजेसियों का चयन निम्नलिखित मानदंडों के आधार पर किया गया है

ए.एस.ई.बी. के फ्रेंचाइजी के रूप में कार्य करने वाले एजेंट निम्नलिखित हो सकते है

- उपभोक्ता संघ
- गैर-सरकारी संगठन (एन.जी.ओ.)
- ग्राम निकाय (पंचायत या ग्राम सहकारिता)
- कोई व्यक्ति

  - सोसाइटी के रूप में पंजीकृत उपभोक्ता संघों को प्राथमिकता दी जाती है।
  - चयन क्षमता तथा ' पहले आओ पहले पाओ ' आधार पर किया जाता है ।
  - प्रति सबडिवीजन एजेसियों की संख्या पहले चरण में दस (10) तक सीमित है ।

3.3.3 <u>एजेंट/फ्रेंचाइजी की नियुक्तिसंबंधी प्रक्रिया</u>

एजेंटो की नियुक्तिप्रक्रिया में शामिल है

- उप-प्रमंडलीय अभियन्ता (एस.डी.ई.) द्वारा संभावित स्थलों/वितरण ट्रंसफर्मरो की पहचान
- एस.डी.ई. द्वारा तैयार आवश्यक आँकड़ो के साथ प्रस्ताव
- इच्छुक पार्टियों को आवेदन करने के लिए आमंत्रित करते हुए अखबारों में विज्ञापन निकाले जाते हैं ।
- एस.डी.ई. द्वारा दिये गए नियुक्तिप्रस्ताव की कार्यपालक अभियंता (ईई) द्वारा जांच कर इसे अनुमोदन के लिए सर्किल के मुख्य कार्यपालक अधिकारी को भेजा जाता है ।
- अनुमोदन के पश्चात ई ई स्थल एवं एजेंट की अधिसूचना सभी हितधारकों को देता है ।
- चयनित एजेंसी को एक महीने के भीतर प्रतिभूति-राशि जमा देनी होती है और कार्यपालक अभियंता (ई ई) के साथ करार निष्पन्न करना पड़ता है।

एजेंसी द्वारा जमा की जाने वाली प्रतिभूति-राशि उपभोक्ताओं के कुल संयोजित भार पर निम्नतम घरेलू टैरिफ के हिसाब से दो महीने के मूल्यांकित विद्युत खपत के मूल्य के बराबर होती है ।

ए एस ई बी और एजेंसी के बीच निष्पन्न करार आरंभ में दो वर्षों की न्यूनतम अवधि के लिए होता है जिसे परस्पर सहमति के द्वारा बढ़ाया भी जा सकता है । इस प्रकार करार को दोनों में से किसी भी पक्ष द्वारा दो महीने की नोटिस देकर समाप्त किया जा सकता है ।

3.3.4 <u>एजेंट कार्य का आरंभ एवं समझौते की आवश्यकता</u>

- उपयुक्तमीटरिंग कैबिनेट के साथ डी टी के एल टी साइड में ए एस ई बी द्वारा तीन फेज का स्टेटिक मीटर लगाया जाना है ।
- लाइनों एवं उपकेन्द्र पर आवश्यक नवीकरण कार्य पूरा किया जाना है ।
- एजेंसी को उनके कर्त्तव्यों एवं दायित्वों पर समुचित दिशानिर्देश दिये जाते हैं ।
- निर्धारित क्षेत्र एवं अवधि के भीतर कार्य को पूरा करने के लिए ए.एस.ई.बी. एजेंसी को आवश्यक प्रमाण पत्र जारी करता है ।
- ए.एस.ई.बी. स्थानीय लोगों एवं संबंधित पार्टियों को किसी क्षेत्र के भीतर एजेंसी के अधिकार के बारे में सूचना देने की व्यवस्था करता है ।

3.3.5 <u>एजेंट/फ्रेंचाइजी की जिम्मेवारियाँ</u>

यूटिलिटी के लिए एस.पी.पी.एस स्कीम चलाते समय फ्रेंचाइजी निम्नलिखित दायित्वों का निर्वहन करता है

- ए.एस.ई.बी को नाम/पता के साथ उपभोक्ताओं की सूची भेजी जाती है ।
- डी.टी. के एल.टी. साइड में एक या एक से अधिक बिन्दुओं पर थोक में विद्युत प्राप्त करता है ।
- निर्धारित तारीख के भीतर मासिक आधार पर उपभोक्ताओं को ए.एस.ई.बी टैरिफ के अनुसार सर्विस बिल भेजता है ।
- भुगतान नहीं होने पर ए.एस.ई.बी के परामर्श से 15 दिन की नोटिस देकर आपूर्ति बंद करने का फ्रेंचाइजी को अधिकार प्राप्त है ।
- फ्रेंचाइजी/एजेंट उपभोक्ताओं का रजिस्टर रखता है और मासिक लेजर शीट की एक प्रति हर माह के पहले सप्ताह के भीतर राज्य विद्युत बोर्ड के सबडिवीजन को भेजता है ।
- एजेंसी उपभोक्ताओं के सभी फ्यूज कॉल पर कार्रवाई करता है ।

- एजेंसी अपने अधिकार क्षेत्र में विद्युत के अनधिकृत प्रयोग को रोकने के लिए जिम्मेवार है ।

3.3.6 <u>एजेंट/फ्रेंचाइजी के प्रति ए.एस.ई.बी. की जिम्मेवारियां</u>

फ्रेंचाइजी के प्रचालन के दौरान ए.एस.ई.बी निम्नलिखित जिम्मेवारियां निभाता है

- एजेंसी के क्षेत्र में निर्धारित बिन्दुओं पर विद्युत की आपूर्ति
- एजेंसी को प्रत्येक माह में दस तारीख तक सिंगल प्वांइट सप्लाय बिल जारी करना।
- निर्धारित तारीख के भीतर एजेंसी से मासिक राजस्व प्राप्त करना
- नये आवेदक उपभोक्ताओं को सर्विस कनेक्शन देना तथा एजेंसी को नये कनेक्शनों का ब्यौरा देना ।
- वितरण लाइनों एवं उपकेंद्र का अनुरक्षण

3.4 <u>एस.पी.पी.एस. स्कीम के अंतर्गत असम में एजेंटी/फ्रेंचाइजियों की प्रगति</u>

असम में नबम्वर, 2004 में शुरू की गई उक्तस्कीम से व्यापक प्रगति हासिल हुई है

- जून 2006 तक 226 फ्रेंचाइजियों को 29915 उपभोक्ताओं के साथ 815 डी.टी. सौंपे गए ।
- अक्टूबर, 2006 तक 307 फ्रेंचाइजियों को 52514 उपभोक्ताओं के साथ 1252 डी.टी. सौपे गए ।

बोंगाईगांव सर्किल, जहां 16 निदर्श गांवों के जरिए फ्रेंचाइजी प्रणाली का मूल्यांकन अध्ययन किया जाना है, की स्थिति निम्नानुसार है

चुने गए ट्रंफार्मरों (डी.टी.आर.) की संख्या ए उपलब्ध नहीं

सौंपे गए डी.टी.आर. की संख्या ए 73

फ्रेंचाइजी एजेंसियो की संख्या ए 16

डी.टी.आर. के अंतर्गत उपभोक्ताओं की संख्या ए 4750

4.0 <u>राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना (आर.जी.जी.वी.वाई) पर विद्युत मंत्रालय के दिशानिर्देश</u>

विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार ने 18 मार्च 2005 के पत्र द्वारा ग्रामीण विद्युत अवसंरचना एवं आवास विद्युतीकरण के लिए राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना को राष्ट्रपति का अनुमोदन प्रदान किया ।

रूरल इलेक्ट्रीफिकेशन कारपोरेशन के जरिए क्रियान्वित की जाने वाली स्कीम के अंतर्गत परियोजनाओं के लिए 90% पूंजीगत सब्सिडी देने की व्यवस्था है ।

4.1 राज्यों की जिम्मेवारियां

सब्सिडी का उपयोग करने के लिए राज्यों को निम्नलिखित शर्तों को पूरा करना होता है

- राज्यों को विद्युत आपूर्ति के लिए समुचित प्रबंध करने चाहिए
- ग्रामीण एवं शहरी आवासों को होने वाली विद्युत आपूर्ति के घंटों में फर्क नहीं किया जाना चाहिए ।
- आर.जी.जी.वी.वाई के अंतर्गत परियोजनाओं में ग्रामीण वितरण के प्रबंधन के लिए फ्रेंचाइजियों की तैनाती हेतु राज्यों की पूर्व प्रतिबद्धता ।
- विद्युत अधिनियम 2003 के अनुसार राज्य यूटिलिटियों को अपेक्षित राजस्व सबसिडी देने के लिए राज्य की प्रतिबद्धता ।

4.2 आर.जी.जी.वी.वाई स्कीम में शामिल परियोजनाएं

निम्नलिखित के प्रावधान के लिए पूंजीगत सबसिडी उपलब्ध होगी

- ग्रामीण विद्युत वितरण बैकबोन
- ग्राम विद्युतीकरण अवसंरचना
- विकेन्द्रित वितरित विद्युत उत्पादन
- बी पी एल आवासों का विद्युतीकरण

ओ.एम. में सभी गांवों एवं आवासों के विभिन्न घटकों का समग्र लागत अनुमान, गैर-विद्युतीकरण गांवों एवं 2001 की जनगणना के अनुसार विद्युत की पहुँच वाले आवास शामिल थे ।

4.3 फ्रेंचाइजी

ओ.एम. में कहा गया है ' फ्रेंचाइजियों के जरिए ग्रामीण वितरण का प्रबंधन किया जायेगा जो एन.जी.ओ., उपभोक्ता संघ, निगम या निजी उद्यमी हो सकते हैं तथा इसमें पंचायती संस्थानों को भी जोड़ा जायेगा । ' फ्रेंचाइजी प्रबंध फीडर के अलावा या इसे शामिल करते हुए अथवा वितरण ट्रंसफार्मर को शामिल करते हुए किया जा सकता है ।

4.4 राजस्व निरंतरता

ओ.एम. में कहा गया कि उपभोक्ता अनुपात तथा वर्तमान उपभोक्ता टैरिफ एवं संभावित भार के आधार पर फ्रेंचाइजी की वाणिज्यिक व्यवहार्यता सुनिश्चित करने के पश्चात फ्रेंचाइजी के लिए थोक आपूर्ति टैरिफ (बी.एस.टी.) निर्धारित की जायेगी ।

जहाँ भी व्यवहार्य हो वहां बी.एस.टी निर्धारित करने के लिए बोली आमंत्रित की जा सकती है । राज्य यूटिलिटियों द्वारा राज्य विद्युत विनियामक आयोग (एस.ई.आर.सी.) को सूचना देते समय बी.एस.टी. की सूचना अवश्य दी जायेगी ।

4.5 केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों की सेवाएं

परियोजना प्रबंधन विशेषता एवं क्षमता के मद्देनजर राज्यों को एन.टी.पी.सी., पावर ग्रिड, एन.एच.पी.सी. एवं डी.वी.सी. के सेवाओं की पेशकश की गई है । आर.ई.सी. ने इन केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं ।

5.0 आर.ई.सी. के दिशा निर्देश

आर.ई.सी. दिशानिर्देशों का मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित पहलुओं को ध्यान में रखते हुए फ्रेंचाइजियों के चयन में मदद करना है;

(क) फ्रेंचाइजी कौन हो सकता है ?

(ख) फ्रेंचाइजी की न्यूनतम तकनीकी/वित्तीय विशेषज्ञता क्या होगी ?

(ग) फ्रेंचाइजी का चयन किस प्रकार किया जायेगा ?

(घ) विभिन्न प्रकार के फ्रेंचाइजियों के लिए उनकी जिम्मेवारियां तथा टैरिफ निर्धारण की विधि सम्मत अधिकार क्या-क्या होंगे ?

(ड.) यूटिलिटियों का कर्त्तव्य/दायित्व एवं अधिकार क्या होगा ?

(च) पंचायती राज संस्थानों से किस प्रकार संपर्क होगा ?

5.1 ग्रामीण वितरण प्रबंधन में फ्रेंचाइजियों की भूमिका

फ्रेंचाइजी राज्य द्वारा अधिकार-प्रदत्त एन्टिटी हो सकती है (वितरण एन्टिटी/एन्टिटियां) जो-

- विद्युत उत्पादन एव वितरण प्रणाली का विकास/प्रचालन या
- अभिज्ञात क्षेत्र के भीतर विद्युत वितरण करने के लिए तैयार रहना तथा ग्रामीण उपभोक्ताओं से सीधे राजस्व संग्रह करना ।
- फ्रेंचाइजियों को स्वयं विद्युत उत्पादन करने या विद्युत यूटिलिटी से आपूर्ति लेने या दोनों का विकल्प हो सकता है ।
- फ्रेंचाइजियों को निम्नलिखित के आधार पर अपने उप-पारेषण तंत्र का विस्तार करने का विकल्प होगाः

- राज्य सरकार से अनुमोदन
- राज्य यूटिलिटी का अनुमोदन
- क्षेत्र में भार वृद्धि

5.2 फ्रेंचाइजी के प्रकार

फ्रेंचाइजियों के विकेन्द्रित वितरित विद्युत उत्पादन में शामिल होने के बावजूद वर्तमान में आर.ई.सी. के दिशानिर्देशों का मुख्य बल विद्युत वितरण पर है ।

फ्रेंचाइजी प्रचालन के मुख्यतः चार प्रकार हो सकते हैं.....

1. राजस्व संग्रहण फ्रेंचाइजी
2. ऊर्जा खरीद/बिक्री एवं संग्रहण फ्रेंचाइजी
3. ऊर्जा खरीद/बिक्री, संग्रहण तथा प्रचालन एवं अनुरक्षण फ्रेंचाइजी
   इस प्रकार के फ्रेंचाइजी को विद्यमान वितरण अवसंरचना का प्रयोग करने की अनुमति है और ये फ्रेंचाइजी क्षेत्र के भीतर अवसंरचना में वृद्धि भी कर सकते हैं।
4. को-ऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट के अंतर्गत वितरण अवसंरचना के मालिक फ्रेंचाइजी के रूप में विद्युत को-ऑपरेटिव ।

आर.ई.सी दिशानिर्देशों में परिभाषित फ्रेंचाइजियों के प्रकार को निम्नलिखित पैरा में बताया गया है

प्रकार-1 :

आर.सी.-(i) ए - राजस्व संग्रहण आधारित - बिलिंग, संग्रहण नए सेवा कनेक्शन जारी करना, शिकायतों का समाधान, नेटवर्क की निगरानी आदि कार्य

- राजस्व संग्रहण के लिए प्रतिमाह लक्ष्य दिया जाना है ।
- फ्रेंचाइजियों को लक्ष्य की प्राप्ति होने पर संग्रहीत राशि के प्रतिशत के रूप में लाभ दिया जाना है ।
- लक्ष्य हासिल नहीं करने पर फ्रेंचाइजियों पर दंड आरोपित किया जाना है।
- लक्ष्य से अधिक भुनाफा कमाने पर फ्रेंचाइजियों को प्रोत्साहन-राशि दी जानी है ।

प्रकार-2 :

आर.सी.(i) बी- इनपुट ऊर्जा आधारित - इस प्रकार के अंतर्गत फ्रेंचाइजी के क्षेत्र की ऊर्जा इनपुट यूटिलिटी द्वारा मापी जाती है और संग्रहण का लक्ष्य विगत माह में मीटरिंग प्वांइट के बाद

आपूर्ति की गई इनपुट ऊर्जा के प्रतिशत पर आधारित होता है । फ्रेंचाइजी का निर्धारण निम्नलिखित के लिए किया जा सकता है

- 11 केवी के फीडर पर आधारित इनपुट ऊर्जा
- वितरण ट्रंसफार्मर पर आधारित इनपुट ऊर्जा

प्रकार-3 :

ऊर्जा खरीद एवं बिक्री फ्रेंचाइजी

फ्रेंचाइजी यूटिलिटी से विद्युत की खरीद कर इसे उपभोक्ताओं को बेचेंगे । यह मॉडल राजस्व संग्रहण मॉडल (1) आधारित इनपुट ऊर्जा की तरह ही है, सिवाय इसके कि फ्रेंचाइजियों द्वारा इनपुट ऊर्जा पूर्व निर्धारित दर पर खरीदी जाती है और वह इसके लिए पूरी तरह से जिम्मेवार होता है ।

प्रकार-4 :

ऊर्जा खरीद एवं बिक्री तथा ओ एंड एम फ्रेंचाइजी

इस मॉडल में विद्युत ऊर्जा की खरीद एवं बिक्री के अलावा फ्रेंचाइजियों को वितरण ट्रंसफार्मरों समेत 11 केवी के फीडरों का प्रचालन एवं अनुरक्षण (ओ एंड एम) की भी जिम्मेवारी होती है । ओ एंड एम कार्य मासिक रीटेनर आधार पर या एक समायोजित ऊर्जा खरीद मूल्य पर दी जा सकती है ।

फ्रेंचाइजी को राज्य और राज्य विद्युत यूटिलिटी की अनुमति से यूटिलिटी के विद्यमान अवसंरचना का उपयोग करने की छूट होती है किन्तु अपने प्रचालन के दौरान इसके द्वारा तैयार नहीं की गई विद्युत वितरण अवसंरचना का यह मालिक नहीं होता है ।

प्रकार-5 :

फ्रेंचाइजी के रूप में ग्रामीण विद्युत को-ऑपरेटिव सोसायटी

इस व्यवस्था के अंतर्गत राज्य पारंपरिक स्त्र् इलेक्ट्रिक को-ऑपरेटिव ॅ सोसायटी के गठन का अधिकार दे सकता है जिसे को-ऑपरेटिव के सदस्यों द्वारा संगठित एवं प्रचालित किया जाता है और यह इनके अधीन भी होता है । सोसायटी सभी को-ऑपरेटिव परिसंपत्तियों का मालिक होता

है और यह एक मिनी वितरण यूटीलिटी के तरह कार्य करेगी । सोसायटी का निर्माण एक समझौता ज्ञापन के जरिये होगा जिसकी निम्नलिखित मुख्य विशेषताएं होंगी

- क्षेत्र के सभी आवास सोसायटी के सदस्य होते है ।
- सोसायटी के निदेशक मंडल का चुनाव सदस्यों द्वारा किया जाता है ।
- को-ऑपरेटिव वितरण लाइसेंसी होते हैं ।
- सोसायटी में सदस्यों की इक्विटी होती है और ऋण बाजार से लिया जाता है ।
- सोसायटी लाइसेंसी के पूर्ण प्रचालन के लिए जिम्मेवार होता है ।
- सोसाइटी राज्य विद्युत यूटिलिटी से विद्युत खरीदी है या स्वयं की उत्पादन क्षमता स्थापित करती है ।

प्रकार- 6 :

ठेका के जरिए इलेक्ट्रिक को-ऑपरेटिव सोसायटी के प्रचालन का प्रबंधन

इस मॉडल में स्त्र् को-ऑपरेटिव सोसायटी ः राज्य एवं राज्य यूटिलिटी की अनुमति से सोसाइटी का प्रबंधन ठेका-शुल्क पर किसी बाहरी अनुभवी एजेंसी को दे देता है । इसके लिए एक उपयुक्त प्रचालन करार की आवश्यकता होगी ।

6.0 राज्य में फ्रेंचाइजी प्रणाली के प्रचालन की स्थितिः

अगस्त, 2006 में ए.एस.ई.बी की वितरण कंपनियों के उपभोक्ताओं की संख्या निम्नलिखित है

लोअर असम इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड- 5,28,000 उपभोक्ता
अपर असम इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड- 3,60,000 उपभोक्ता
सेन्ट्रल असम इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड- 3,99,000 उपभोक्ता

चयनित राज्य/जिले मे वितरण-व्यवस्थाः

राज्यों अर्थात् असम में इस मूल्यांकन अध्ययन के अंतर्गत फ्रेंचाइजियों की मौलिक संरचना नीचे संक्षेप में बताई गई है

असमः

असम राज्य विद्युत बोर्ड (ए.एस.ई.बी.) मुख्य संगठन है, जिसमें विद्युत का उत्पादन, पारेषण एवं वितरण शामिल है ।

वितरण कंपनियां गठित कर ली गई हैं । फ्रेंचाइजी स्कीम के मूल्यांकन के लिए असम में चयनित जिला/वितरण सर्किल स्त्र् बोंगाईगांव = लोअर असम इलेक्ट्रिसिटी विवरण कंपनी लिमिटेड के अंतर्गत स्थित है ।

असम में फ्रेंचाइजी मुख्यतः राजस्व संग्रहण आधारित हैं और (त्) वितरण ट्रंसफार्मर या (त्त्) वितरण ट्रंसफार्मर के समूह को प्रचालित करते हैं । फ्रेंचाइजी ऐसे नियुक्त एजेंट हैं जिनका काम वितरण ट्रंसफार्मरों के कम वोल्टेज वाले हिस्से में मीटरीकृत सिंगल प्वाइंट पावर सप्लाय के लिए राजस्व संग्रह करना है । एजेंटों को ए.एस.ई.बी. द्वारा तैयार कुल बिल राशि में से 15% कमीशन के रूप में दिया जाता है । एजेंसी द्वारा ए.एस.ई.बी (डिस्कॉम) को इसके द्वारा दी गई कुल बिल राशि का 85 % ही भुगतान करना होता है । वास्तविक कमीशन फ्रेंजाइजी द्वारा राजस्व संग्रहण के इसके प्रयास की सफलता पर निर्भर है ।

वर्तमान में एजेंटों/फ्रेंचाइजियों के कार्यों में शामिल है

- मीटर रीडिंग
- बिल तैयार करना और इसका वितरण
- राजस्व संग्रहण
- उपभोक्ता रजिस्टर का रखरखाव
- उपभोक्ताओं की छोटी-मोटी शिकायतों का समाधान
- विद्युत चोरी की सूचना देना

नियुक्त एजेंट/फ्रेंचाइजी मुख्यतः निम्नलिखित श्रेणी के होते हैं :

- कोई व्यक्ति
- उपभोक्ता के एसोसिएट
- ग्राम पंचायत

ए.एस.ई.बी द्वारा की गई एक समीक्षा से पता चला कि एजेंटों/फ्रेंचाइजियों को दिए जाने हेतु अभिज्ञात बड़ी संख्या में वितरण ट्रंसफार्मर जून से सितंबर, 2006 के बीच उन्हें सौंप दिए गए । इसकी कुल स्थिति नीचे बताई गई है

टेबल एः विभिन्न सर्किलों में वितरण ट्रंसफार्मर, उपभोक्ताओं एवं फ्रेंचाइजियों की संख्या

वितरण कंपनी/सर्किल	डी.टी.आर. की संख्या एसपीपीएस के अधीन		फ्रेंचाइजी/एजेंट की संख्या		उपभोक्ताओं की संख्या	सर्किलों की संख्या
	एस पी पी एस के अंतर्गत				**डी टी आर के अंतर्गत**	
	जून 06	**सितम्बर 06**				
एल ए ई डी सी एल	**162**	**403**	**37**	**71**	**17000**	**6**
यू ई डी सी एल	**293**	**541**	**82**	**118**	**18900**	**4**
बोंगाईगांव श्रेत्र		**73**		**16**	**4750**	**1**
सी ए ई डी सी एल	**55**	**308**	**32**	**118**	**16600**	**4**
योग		**1325**		**323**	**57250**	

एजेंटों/फ्रेंचाइजियों द्वारा काफी मात्रा में रोजगार भी पैदा किया गया । रिपोर्ट के अनुसार एजेंटों/फ्रेंचाइजियों द्वारा सामान्य तौर पर नियुक्त किए गए लोगों का विवरण निम्नानुसार है

टेबल JÉ& विभिन्न सर्किलों में कर्मचारियों एवं फ्रेंचाइजियों की संख्या

डिस्कॉम	एजेंटों/फ्रेंचाइजियों की संख्या (सितंबर-06)	नियुक्त किए गए लोगों की संख्या (जून-06)
एल ए ई डी सी एल	71	548
यू ई डी सी एल	118	564
सी ए ई डी सी एल	118	349
योग	307	1461

उपर्युक्त टेबल से स्पष्ट है कि असम में एक वितरण ट्रंसफार्मर औसतन 42 उपभोक्ताओं को तथा एक एजेंट/फ्रेंचाइजी लगभग 171 उपभोक्ताओं को सेवा प्रदान करते हैं । इससे यह भी पता

चलता है कि एक फ्रेंचाइजी औसतन चार (4) वितरण ट्रासफार्मरों पर काम करता है । साथ ही प्रत्येक फ्रेंचाइजी औसतन चार से पाँच व्यक्तियों को काम पर लगाता है (अनुबंध टेबल देखें)।

फ्रेंचाइजी प्रणाली की शुरूआत के बाद राज्य यूटिलिटी के आकलन के मुताबिक इससे प्राप्त होने वाले लाभ हैं :

- उपभोक्ताओं को समय पर बिल की प्राप्ति
- समय पर राजस्व संग्रहण
- राजस्व प्राप्ति के क्षेत्रों में कमी
- यूटिलिटी के साथ बेहतर समन्वय के कारण विद्युत की गुणवत्ता में सुधार
- बेहतर उपभोक्ता संतुष्टि
- चोरी में कमी

फ्रेंचाइजी के लिए प्रोत्साहन संरचना है

- 10% पारेषण एवं वितरण हानि को छोड़ कर बिल की गई राशि पर 15औ (यह राजस्व संग्रहण से संबंधित नहीं है ।)

आरंभ में ठेके 1 वर्ष के लिए दिये जाते हैं । प्रतिभूति-जमा के रूप में बैंक गारंटी के न्यूनतम सीमा वाले घरेलू टैरिफ पर दो महीने की बिल राशि ली जाती है ।

केंद्रीय विद्युत मंत्री माननीय श्री सुशील कुमार शिंदे ने असम मे अच्छा निष्पादन करने वाले एजेंसी/फ्रेंचाइजी का अभिनंदन किया था और 22 मई, 2006 को नई दिल्ली में आर..जी.जी.वी.वाई के अंतर्गत फ्रेंचाइजी पर राष्ट्रीय कार्यक्रम शुरू करने के दौरान निम्नलिखित फ्रेंचाइजी को मान्यता भी प्रदान की गईः

1. श्री पन्ना दास, फ्रेंचाइजी, यू.ए.ई.डी.सी.एल
2. श्री नूरूल इस्लाम फ्रेंचाइजी, सी.ए.ई.डी.सी.एल
3. श्री कुमुद मेधी, फ्रेंचाइजी, एल.ए.ई.डी.सी.एल

असम में फ्रेंचाइजी प्रणाली का समग्र आकलन करते हुए यह कहा जा सकता है कः

- एजेंट/फ्रेंचाइजी के विकास के लिए असम में वितरण ट्रांसफार्मर स्तर पर सिंगल प्वांइट पावर सप्लाय पद्धति अपनायी जा रही है ।
- इस प्रकार फ्रेंचाइजी प्रणाली डी.टी.आर. पर आधारित है न कि यूनिट के रूप में गांव पर ।
- फ्रेंचाइजी आर.ई.सी. दिशानिर्देश के मॉडल-2 आर.सी (ख्ख्) बी के अंतर्गत कार्यरत हैं जहाँ स्त्र् इनपुट ऊर्जा = यूटिलिटी एवं फ्रेंचाइजी केबीच लेन-देन का आधार है ।
- असम में इनपुट ऊर्जा आधारित फ्रेंचाइजी मीटर्ड/बिल्ड ऊर्जा के प्रतिशत हिस्से के रूप में प्रोत्साहन के आधार पर काम कर रहे हैं ।
- इस मॉडल की वाणिज्यिक व्यवहार्यता सिद्ध होना बाकी है ।
- गैर-घरेलू उपभोक्ताओं के बिलों का संग्रहण अभी भी पूरी तरह से फ्रेंचाइजी द्वारा नहीं देखा जाता है ।

7.0 सर्वेक्षण हेतु गांव का चयन

12 जनवरी, 2007 को महाप्रबंधक, आर.ई.सी., आर.जी.जी.वी.वाय के साथ आयोजित बैठक में यह बताया गया था कि असम के बोंगाईगांव सर्किल में ऐसे 881 गांव है जहाँ फ्रेंचाइजी प्रणाली का अध्ययन करने के लिए सैंपल सर्वेक्षण किया जाना है ।

टी.ओ.आर, आर.ई.सी ने आरंभ में 10% गांवो को सैंपल के अंतर्गत शामिल करने को कहा। 12 जनवरी, 2007 को आर.ई.सी में आयोजित बैठक के दौरान यह निर्णय लिया गया कि सैंपल सर्वेक्षण के लिए प्रत्येक जिले में लगभग 30 गांवों को शामिल किया जाए ।

30 गांवों को ध्यान में रखते हुए असम के बोंगाईगांव में ए.एस.ई.बी. मुख्यालय से प्राप्त गांवों की सूची में से सैंपल सर्वेक्षण आयोजित करने के लिए यादृच्छिक क्रम में गांवों का चयन किया गया । समय के आभाव के कारण आरंभ में 16 गांवों को चुनकर प्रारंभिक रिपोर्ट में शामिल किया गया । इस व्यवस्था में बोंगाईगांव, असम में क्षेत्र सर्वेक्षण के लिए अंतिम रूप से चुने गए सैंपल गांवों की सूची संलग्नक में दी गई हैं । इस प्रकार 141 गांवों की सूची की तुलना में 16 गांवों में क्षेत्र सर्वेक्षण कराया गया, अर्थात लगभग 20% गांवों को सैंपल क्षेत्र सर्वेक्षण में शामिल किया गया ।

8.0 क्षेत्र सर्वेक्षण संचालित करने की विधि

16 जनवरी, 2007 को रूरल इलेक्ट्रीफिकेशन कॉरपोरेशन से अध्ययन कराने के लिए ठेका पत्र प्राप्त हुआ । यह पत्र आर.ई.सी द्वारा 16 जनवरी,2007 को ए.एस.ई.बी के अध्यक्ष को लिखा गया, जिसमें कॉरपोरेशन ने उक्त अध्ययन आई.आर.ए.डी.ई. द्वारा कराने को कहा । अध्यक्ष ए.एस.ई.बी. ने मुख्यालय में तथा वितरण सर्किल मुख्यालय में नोडल अधिकारियों का नाम घोषित कर दिया है । अध्ययन का टी.ओ.आर. काफी व्यापक है और इसमें फ्रेंचाइजी प्रणाली के कुशल एवं कारगर काम काज से संबंधित सभी प्रकार के मामले शामिल है ।

8.1 सर्वेक्षण प्रारूप का निरूपण

आई.आर.ए.डी.ई की टीम ने नोडल अधिकारियों के साथ ए.एस.ई.बी मुख्यालय में गहन चर्चा की तथा बोंगाईगांव सर्किल के सी.ई.ओ के साथ भी विचार विमर्श किया । एस.पी.पी.एस प्रणाली के जरिये राज्य में फ्रेंचाइजी प्रणाली के कामकाज पर प्राप्त प्रतिक्रिया से गांवों में क्षेत्र सर्वेक्षण कराने में काफी मदद मिली । मूल्यांकन अध्ययन बोंगाईगांव सर्किल में चुने गए लगभग 16 गांवों में फ्रेंचाइजी प्रणाली के कार्यकरण पर निर्भर करेगा । क्षेत्र सर्वेक्षण के दौरान फ्रेंचाइजी प्रणाली के कामकाज से जुड़े विभिन्न हितधारकों से भी संपर्क किया गया । क्षेत्र सर्वेक्षण के दौरान निम्नलिखित मामलों पर सूचना प्राप्त करने के लिए तैयार प्रश्नावली निम्नानुसार थी

- राज्य में फ्रेंचाइजी प्रणाली को किस प्रकार लागू किया जाय और फ्रेंचाइजियों की नियुक्ति किस प्रकार की जाय ? क्या इनके चयन के लिए प्रतियोगिता को आधार बनाया जा सकता है ?
- किस प्रकार की फ्रेंचाइजी प्रणाली प्रचालनाधीन है और क्या ये आर.ई.सी/भारत सरकार के दिशानिर्देशों के मुताबिक कार्य कर रहें है ?
- फ्रेंचाइजी के कार्य-निष्पादन का अनुभव तथा क्या फ्रेंचाइजी गांवों में विद्युत वितरण में वित्तीय व्यवहार्यता जा सकती है ?
- फ्रेंचाइजी प्रणाली में कार्य करने के इष्टतम तरीके क्या हैं ?
- फ्रेंचाइजियों को आवश्यक कौशल एवं जानकारी देने के लिए प्रशिक्षण की आवश्यकता एवं अन्य माध्यम
- गांवों में फ्रेंचाइजी प्रचालन का सामाजिक-आर्थिक प्रभाव तथा विद्युत उपभोक्ता पर प्रभाव
- ग्राम वितरण प्रबंधन में राजस्व निरंतरता एवं वाणिज्यिक व्यवहार्यता हासिल करने के लिए फ्रेंचाइजी प्रणाली का विकास

8.2 अध्ययन कराने के लिए संस्थागत प्रणाली

एकीकृत अनुसंधान एवं विकास कार्रवाई (इराडे) एक ऐसा संस्थान है जिसमें अनुसंधान करने के लिए, जिसे कार्रवाई में बदला जा सकता है, बहु-संकाय टीम मौजूद होती है । इस मूल्यांकन अध्ययन को पूरा करने के लिए आई.आर.ए.डी.ई. एक उपयुक्त मंच उपलब्ध कराता है ।

अध्ययन-कार्य कार्यपालक निदेशक (आई.आर.ए.डी.ई.) के समग्र पर्यवेक्षण में किया जाएगा । अध्ययन टीम को विद्युत क्षेत्र, डिजाइन, इंजीनियरिंग, निर्माण, प्रबंधन, नीति निर्माण विद्युत क्षेत्र में सुधार एवं वित्तपोषण जैसी विभिन्न विधाओं में अनुभव रखने वाले वरिष्ठ सलाहकारों के नेतृत्व में किया जाएगा । उन्हें एक वरिष्ठ सलाहकार एवं मुख्यालय के दो अनुसंधान सहायक द्वारा सहायता दी जा रही है ।

मुख्यालय स्तर पर टीम फील्ड स्तर पर अध्ययन करने के लिए विस्तृत पद्धति, रणनीति एवं रूपरेखा तैयार करेगी ।

फील्ड स्तर पर ग्राम सर्वेक्षण के दौरान आई.आर.ए.डी.ई. स्टाफ को यूटिलिटी के सेवानिवृत्त विशेषज्ञ वितरण क्षेत्र में मार्गदर्शन करेंगे । फील्ड टीम को संबंधित सूचना के लिए अनुसंधान सहायक मदद करेंगे जो फील्ड में परामर्श तथा नियमित समीक्षा के जरिये प्राप्त होगा ।

8.3 गांवों में क्षेत्र सर्वेक्षण

फ्रेंचाइजी प्रणाली के कामकाज एवं प्रतिक्रिया संबंधित सूचना देते हुए निम्नलिखित के संबंध प्रारूप तैयार किये गएः

- गांव
- वितरण नेटवर्क
- फ्रेंचाइजी
- ग्राम पंचायत
- ग्रामीण परिवार
- उपभोक्ता
- यूटिलिटी एवं फ्रेंचाइजी के बीच वित्तीय प्रचालन

क्षेत्र सर्वेक्षण के दौरान गांवों का दौरा करने तथा सभी लक्षित समूहों तक पहुँचने की रणनीति को अंतिम रूप देने के लिए फील्ड ग्रुप के साथ विचार विमर्श किया गया था । गांवों में आई.आर.ए.डी.ई की टीमों ने फील्ड सर्वेक्षण किया और इन्होंने फरवरी, 2007 में गांवों का दौरा किया । फील्ड ग्रुप एवं मुख्यालय टीम के बीच विचार विमर्श का उद्देश्य फील्ड कार्यों की प्रगति की समीक्षा तथा उपलब्ध सूचना की सीमाओं के अनुसार प्रारूप का समायोजन करना था ।

8.4 सूचना एकत्रण एवं निष्कर्ष

राज्य/जिला/गांव के लिए सूचना एकत्रित की गई और इसे व्यवस्थित किया गया । फिर इस सूचना पर गहन चर्चा की गई ताकि किसी निष्कर्ष पर पहुँचा जा सके । अध्ययन कार्य इस विचार के साथ किया गया कि गांव में फ्रेंचाइजी के जरिए विद्युत वितरण व्यवसाय चलाने के लिए एक यूनिट के रूप में विकसित किया जाय । इसके लिए सौहार्दपूर्ण माहौल में सर्वेक्षण किया गया । लोगों को इस प्रकार प्रश्न पूछे गए कि उनका या संस्थान का निष्पादन प्रभावित न हो और इसका मुख्य बल फ्रेंचाइजी प्रणाली को सफल बनाने के लिए तथ्यों और संभावनाओं पर था ।

9.0 सर्वेक्षण किये गए गांवों पर आंकड़े एवं सूचना

ए.एस.ई.बी. से प्राप्त बोंगाईगांव सर्किल के लिए आर.जी.जी.वी.वाई में दर्ज 145 गांवों में से 16 गांव यादृच्छिक आधार पर चुने गए और इन्हें आरंभिक रिपोर्ट में शामिल किया गया । मांगी गई सूचना को निम्नांकित प्रकार से विभाजित किया जा सकता है

(क) जिला में विद्युतीकरण की स्थिति

(ख) आपूर्ति एवं बिल की गई ऊर्जा

(ग) राजस्व संग्रहण

(घ) फ्रेंचाइजी की विशेषता

(ड.) फ्रेंचाइजी का प्रकार एवं प्रारूप

(च) फ्रेंचाइजी की चयन प्रक्रिया

(छ) फ्रेंचाइजी द्वारा देखने जाने वाले कार्य एवं समस्याएं

(ज) टैरिफ संरचना

(झ) गांवों में उपभोक्ता वृत्तचित्र (प्रोफाइल)

(ञ) बिलिंग तंत्र

(ट) राजस्व संग्रहण तंत्र

(ठ) गांवों में विद्युत तंत्र

(ड) आवास का स्वरूप

(ढ़) उपभोक्ताओं की प्रतिक्रिया

(ण) फ्रेंचाइजी की प्रतिक्रिया

(त) ग्राम पंचायत की प्रतिक्रिया

कुल मिलाकर लगभग 290 मानदंडों के अंतर्गत सूचनाएं दर्ज की गई । इन्हीं 290 मानदंडों के अंतर्गत सर्वेक्षण किये गये 16 गांवों पर सूचना संदर्भ हेतु अनुबंध-ख् के रूप में संलग्न है। प्राप्त की गई सूचना पूर्ण प्रतीत नहीं होती है, उसके बावजूद अध्ययन के उद्देश्य से ये पर्याप्त है। फ्रेंचाइजी प्रणाली आर.जी.जी.वी.वाय के पहले भी बोंगाईगांव (असम) के कुछ गांवों में एस.पी.पी.एस स्कीम के रूप में कार्यरत था और इस कारण उक्त सूचना अधिक उद्देश्यपूर्ण थी ।

10.0 <u>सैंपल सर्वेक्षण परिणामों की व्याख्या</u>

गांवों के लिए सैंपल सर्वेक्षण मुख्यतः वितरण प्रणाली प्रबंधन हेतु एक स्थायी मॉडल के रूप में कार्य करने के लिए फ्रेंचाइजी प्रणाली के निष्पादन एवं विश्लेषण के उद्देश्य से किया गया है । इस अध्ययन को इस समय कार्यरूप दिया जा रहा है । सर्वेक्षण के दौरान प्राप्त आंकड़ों एवं सूचना का निम्नलिखित दृष्टिकोण से अध्ययन किया जाना आवश्यक है ।

(क) किस प्रकार की फ्रेंचाइजी प्रणाली प्रचालन में है और क्या यह विद्युत मंत्रालय/भारत सरकार तथा आर.ई.सी. के दिशानिर्देशों का पालन करता है ?

(ख) फ्रेंचाइजी प्रणाली निम्नलिखित रूप में किस प्रकार सफल है ?

- राजस्व संग्रहण में सुधार
- गांवों में अधिक से अधिक उपभोक्ताओं की विद्युत तक पहुँच
- उपभोक्ता शिकायतों का समाधान एवं विश्वसनीय विद्युत आपूर्ति

(ग) क्या फ्रेंचाइजी मॉडल लंबे समय तक वाणिज्यिक रूप से संवहनीय है ?

उपर्युक्त दृष्टिकोण से आंकड़ो/सूचना की व्याख्या के अंतर्गत यह भी ध्यान देना आवश्यक है कि भारत सरकार द्वारा आर.जी.जी.वी.वाय के जरिये ग्रामीण भारत में विद्युत अवसंरचना तैयार करने के लिए दिये जाने वाले 90 % अनुदान का ग्रामीण उपभोक्ताओं के आम हित के लिए प्रभावी तरीके से उपयोग किया जाय ।

सर्वेक्षण के दौरान प्राप्त आंकड़ों की सर्वेक्षण प्रारूप की समग्रता तथा सूचना एवं आंकड़ों के प्रकार के दृष्टिकोण से कुछ सीमाएं हैं, जिन्हें उत्तरदाताओं द्वारा उपलब्ध कराया जा सकता था । इन कमियों के बावजूद सैंपल सर्वेक्षण के विश्लेषण से प्राप्त निष्कर्ष के समुचित रूप से विश्वसनीय होने की आशा है ।

11.0 फ्रेंचाइजी प्रणाली के प्रचालन

फ्रेंचाइजी प्रणाली के प्रचालन मे वे सभी पहलू शामिल हैं जिनसे प्रणाली की क्षमता एवं विश्वास में वृद्धि हो । इन पहलुओं में फ्रेंचाइजी का प्रकार एवं मॉडल, नियुक्ति की पद्धति, चयन में पारदर्शिता, प्रबंध का प्रकार, सुरक्षा के प्रावधान एवं प्रचालन अनुभव शामिल है ।

आर.जी.जी.वी.वाई की संकल्पना करते समय भारत सरकार ने यह चाहा था कि पंचायती संस्थान भी फ्रेंचाइजियों के साथ जुड़ेगें ।

11.1 नियुक्तिका तरीका

असम में उन उपभोक्ता संघ या एन.जी.ओ. या एजेंटों/फ्रेंचाइजियों का चयन किया जाता है जो सिंगल प्वाइंट पावर सप्लाय स्कीम के अंतर्गत स्त्र् बिलिंग एवं राजस्व संग्रहण- करने की इच्छा दर्शाते हैं । एस.पी.पी.एस स्कीम को लागू किए जाने वाले वितरण ट्रंसफार्मर के संभावित स्थल की पहचान उप-प्रमंडलीय अभियंता द्वारा की जाती है और इच्छुक एजेंटो से इच्छा अभिव्यक्ति आमंत्रित की जाती है । एजेंट/फ्रेंचाइजी का चयन उनके द्वारा कार्य शुरू करने की इच्छा एवं क्षमता के आधार पर किया जाता है ।

11.2 चयन में पारदर्शिता

ऐसा पाया गया है कि अनेक व्यक्ति/एन.जी.ओ कार्य शुरू करने की इच्छा एवं क्षमता नहीं दर्शाते हैं । कार्य के स्वरूप के मद्देनजर संबंधित सर्किलों के सी.ई.ओ. एवं कार्यपालक अभियंता किसी खास डी.टी.आर के लिए क्षमता के आधार पर एजेंट का चयन करते हैं । इस प्रकार एक प्रभावी पारदर्शी प्रतिस्पर्धी पद्धति का आविर्भाव हो रहा है ।

11.3 प्रलेखन/करार

ए.एस.ई.बी, लोअर असम इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी ने एजेंसी/ए.एस.ई.बी. के कार्यक्षेत्र तथा उनके संबंधित कर्त्तव्यों एवं अधिकारों को परिभाषित करने के लिए एक करार प्रारूप तैयार किया है जिस पर ए.एस.ई.बी/एल.ए.ई.डी.सी.एल. तथा फ्रेंचाइजी एजेंसी हस्ताक्षर करेंगे । करार में ए.एस.ई.बी. द्वारा ऊर्जा बिल के परिकलन की प्रक्रिया एजेंसी को बताई गई है तथा एजेंसी को मिलने वाले लाभ का भी विवरण है ।

11.4 प्रतिभूति जमा

एजेंसी/फ्रेंचाइजी द्वारा ए.एस.ई.बी के पास उपभोक्ताओं के कुल संयोजित भार पर न्यूनतम टैरिफ स्तर के हिसाब से दो महीने के निर्धारित खपत के बराबर की धनराशि प्रतिभूति जमा के रूप में रखनी होती है । इस प्रतिभूति जमा को एजेंसी को कार्य सौंपने से पहले नकद/बैंक ड्राफ्ट के रूप में जमा करना होता है । नये कनेक्शनों के कारण अतिरिक्त संयोजित भार पर अतिरिक्त प्रतिभूति-जमा एजेंसी द्वारा अगले माह के पहले सप्ताह में जमा करनी होती है ।

11.5 प्रचालन संबंधी अनुभव/समस्याएं

यद्धपि ए.एस.ई.बी वितरण ट्रंसफार्मरों से संबंधित एस.पी.पी.एस पर एन.जी.ओ./उपभोक्ता संघ/को-ऑपरेटिव/फ्रेंचाइजी से काम कराने के लिए तैयार है, किन्तु ये एजेंसियां आगे नहीं आ रही हैं । इनमें से अधिकांश एजेंसी/फ्रेंचाइजी व्यक्ति विशेष हैं; जिसमें स्थानीय युवकों की भी प्रतिभागिता है।

असम में फ्रेंचाइजियों के कार्य-निष्पादन से मिश्रित परिणाम आये हैं । कुछ फ्रेंचाइजी काफी कुशल है जबकि अन्य को रिकार्ड कीपिंग तथा प्रणाली के प्रचालन एवं अनुरक्षण में प्रशिक्षण देने की आवश्यकता है । कई गांवों में वितरण प्रणाली पुरानी हो गई है और पुराने इलेक्ट्रानिक मीटर का ही प्रयोग करती है । ऐसे में प्रणाली का नवीकरण एवं उन्नयन आवश्यक है ताकि यह ओवर-लोडेड न हो । इलेक्ट्रानिक मीटर लगाने से भी काफी मदद मिल सकती है क्योंकि ये अब बहुत मंहगे नहीं हैं ।

12.0 फ्रेंचाइजी प्रणाली का प्रभाव

विभिन्न हितधारकों तथा सर्वसामान्य पर फ्रेंचाइजी प्रणाली के प्रभाव का मूल्यांकन उपभोक्ताओं एवं ग्राम पंचायत के प्रतिनिधियों से प्राप्त प्रतिक्रिया पर आधारित है ।

12.1 बिलिंग

देखा गया है कि उपभोक्ताओं को वितरण संख्या दी जाती है और इनकी वितरण ट्रंसफार्मर के अनुसार कोडिंग की जाती है । बिलिंग का समय घटाकर एक महीने कर दिया गया है तथा अधिकांश फ्रेंचाइजी कार्यालय गांवों में स्थित है ।

फ्रेंचाइजी हस्तलिखित बिल बना रहे हैं और इन्हें उपभोक्ताओं को वितरित कर दिया जाता है । लगाये गए अधिकांश मीटर इलेक्ट्रानिक हैं और शेष मैकेनिकल मीटरों को भी बदलने की प्रक्रिया चल रही है ।

12.2 राजस्व संग्रहण

फ्रेचाइजियों द्वारा उपभोक्ताओं से राजस्व संग्रहण बहुत कारगर तरीके से किया जा रहा है । साथ ही फ्रेंचाइजी बिल संग्रहण सुविधा भी प्रदान कर रहे हैं ।

घर से घर - 69%

फ्रेंचाइजी कार्यालय में - 100%

संग्रहीत राजस्व को सभी गांवों में बैंक खातों में जमा कर दिया जाता है । कंप्यूटर डाटाबेस में 100% गांवों में खाता शुरू करना अभी बाकी है ।

सैंपल गांवों से प्रति गांव उपभोक्ताओं से फ्रेंचाइजियों द्वारा औसत मासिक प्राप्ति रू. 13,085/- थी ।

12.3 उपभोक्ता संतुष्टि

लगभग 150 उपभोक्ताओं से प्रतिक्रिया प्राप्त की गई । उपभोक्ताओं में निम्नलिखित को लेकर असंतोष थाः

- आपूर्ति के घंटे (प्रतिदिन)
- आपूर्ति की गुणवत्ता
- तंत्र का रखरखाव

गांवों के सर्वेक्षण से पता चला कि वहां प्रतिदिन औसतन 17 घंटे बिजली आती है और आपूर्ति में भी बाधा है । बिलिंग, संग्रहण, मीटरीकरण एवं उपभोक्ता शिकायतों के निपटान के बारे में उपभोक्ता सामान्यतः संतुष्ट थे ।

12.4 वितरण प्रणाली प्रबंधन

असम में एस.पी.पी.एस प्रणाली का प्रयोग मुख्यतः ग्रामीण क्षेत्रों में बिलिंग एवं राजस्व संग्रहण को सुचारू बनाने के लिए किया जा रहा है । इसी से फ्रेंचाइजी प्रणाली का जन्म हुआ है । एस.पी.पी.एस. को वितरण ट्रंसफार्मरों के आउटलेट पर लगाया जाता है तथा ए.एस.ई.बी/डिस्कॉम द्वारा नियुक्त फ्रेंचाइजी/एजेंट वितरण ट्रंसफार्मर के आउटलेट में दी गई विद्युत ऊर्जा के लिए अधिक से अधिक राजस्व प्राप्त करने हेतु जिम्मेवार है ।

फ्रेंचाइजी संपूर्ण इनपुट विद्युत ऊर्जा के लिए जिम्मेवार है जिसमें पूर्व निर्धारित क्षति भी शामिल है । यह फ्रेंचाइजी प्रणाली आर.ई.सी. मॉडल-2 ' वितरण ट्रंसफार्मर पर आधारित इनपुट ऊर्जा के रूप में असम में कार्यरत है । '

अपने अधिकार-क्षेत्र के अंतर्गत फ्रेंचाइजी फ्यूज कॉल पर सेवा देने, उपभोक्ताओं की समस्याओं का समाधान करने तथा विद्युत के अनधिकृत प्रयोग को रोकने के लिए जिम्मेवार है

सैंपल गांवों से प्राप्त उपभोक्ता प्रतिक्रिया से पता चलता है कि गांवों के 38औ उपभोक्ता अपने क्षेत्रों में आपूर्ति की गुणवत्ता से संतुष्ट नहीं हैं । इसके लिए कृपया ' उपभोक्ता प्रतिक्रिया- ,' उपभोक्ता संतुष्टि - ' ग्राम पंचायत -, ' प्रबंधन पर राय : ग्राम पंचायत- देखें । इससे पता चलता है कि गांवों में विद्युत आपूर्ति का गंभीर संकट व्याप्त है ।

फ्रेंचाइजी निष्पादन के अन्य मानदंडों पर वितरण प्रबंधन में सकारात्मक प्रतिक्रिया है-

यूटिलिटी और फ्रेंचाइजी के बीच संबंध - अच्छे (100% गांव)

उपभोक्ता शिकायत पर ध्यान - दिया जाता है (100% गांव)

उपभोक्ता संतुष्टि - (85% गांव)

मीटरीकरण संतुष्टि - हाँ (80% गांव)

100% मीटरीकरण की आवश्यकता है - आवश्यक (80% गांव)

'आमंत्रित सुझाव- तथा 'प्रतिदिन विद्युत आपूर्ति के घंटे- पर गांवों से निम्नलिखित उत्तर सामने आये-

बेहतर विद्युत आपूर्ति की आवश्यकता है - आवश्यकता है (100% गांव)

आपूर्ति की नियमितता - आवश्यकता है (100% गांव)

लाइनों का अच्छा अनुरक्षण - आवश्यकता है (100% गांव)

कम विद्युत बाधा - आवश्यकता है (100% गांव)

विद्युत उत्पादन में वृद्धि - आवश्यकता है (100% गांव)

विद्युत आपूर्ति के औसत घंटे - 15 घंटे प्रतिदिन

12.5 वितरण तंत्र

सैंपल गांवों से पता चला कि मीटरों का प्रावधान विभिन्न गांवों में सुगम मीटरिंग बिन्दुओं पर किया गया और इनका वितरण निम्नानुसार टेबल त्रर मीटर का प्रावधान ॅ में किया गया है-

डी टी में 11 के वी फीडर इनलेट - 80% हाँ

डी टी का आउटपुट - 60% हाँ

इलेक्ट्रिक पोल में - 37% हाँ

उपभोक्ता परिसर में - 100% हाँ

अनेक गांवों द्वारा वितरण ट्रंसफार्मरो के आउटपुट पर मीटरीकरण के संबंध में सूचना नहीं देने से पता चलता है कि अनेक गांवों को इनके बाहर स्थित वितरण ट्रंसफार्मरों से विद्युत प्राप्त होता है । साथ ही यह देखा गया है कि कुछ गांवों में उपभोक्ता परिसरों में मीटरीकरण अभी भी आवश्यक है ।

औसतन सात गांवों में से एक गांव को 33/11 के वी उपकेंद्र की ट्रंसफार्मर क्षमता उपलब्ध कराई गई । सैंपल गांवों में औसत वितरण ट्रंसफार्मर क्षमता 63 के वी ए थी । इसके अलावा प्रत्येक गांव में विद्युत कनेक्शन देने के लिए औसतन 35 इलेक्ट्रिक पोल या वितरण प्वाइंट दिये गए ।

12.6 फ्रेंचाइजी द्वारा जारी कनेक्शन

फ्रेंचाइजी प्रणाली को शुरू करने के बाद गरीबी रेखा से ऊपर और गरीबी रेखा से नीचे-दोनों स्तर पर नये कनेक्शनों में वृद्धि हुई है । यह कहा जा सकता है कि फ्रेंचाइजी द्वारा प्रत्येक गांव में औसतन 11 कनेक्शन जारी किये गए । ये सभी कनेक्शन, अर्थात कुल 154 कनेक्शन 14 गांवों में दिये गए ।

पंचायत ने इस आशय से प्रमाणित किया कि सैंपल गांवो का 100% विद्युतीकरण हो चुका है, यद्धपि इनमें से अधिकांश गांवों में ज्यादातर कनेक्शन घरेलू थे । सैंपल गांवों में घरेलू कनेक्शन वाले आवासों का औसत प्रतिशत 68% है । अतः इन सभी गांवों को विद्युतीकृत माना जाय ।

12.7 रोजगार सृजन

16 सैंपल गांवों में 12 विभिन्न उद्यम कार्य कर रहे है । इनमें से अधिकांश उद्यम एक से अधिक गांवों में कार्यरत हैं । इनमें से प्रत्येक फ्रेंचाइजी औसतन 7 गांवों में कार्यरत हैं । ये फ्रेंचाइजी संस्था प्रति फ्रेंचाइजी औसतन 5 व्यक्तियों की नियुक्तिकरते हैं ।

सैंपल गांवों में प्रति गांव औसतन 3 व्यक्तियों के लिए रोजगार पैदा किया जाता है।

13.0 प्रशिक्षण की आवश्यकता एवं फ्रेंचाइजी

ग्राम पंचायत स्त्रोतों से पता चलता है कि 88% सैंपल गांवों में उपभोक्ताओं का शिकायत - निवारण फ्रेंचाइजी द्वारा किया जाता है । साथ ही गांव के 88% उपभोक्ताओं ने उनकी सेवा पर संतोष व्यक्तकिया ।

सैंपल गांवों के फ्रेंचाजियों से प्राप्त प्रतिक्रिया से पता चलता है कि 100% गांवों में विद्युत व्यवधान एक नियमित समस्या है । 100% गांवों में लाइन की खराबी ठीक करने योग्य है तथा 76% सैंपल गांवों में फ्रेचाजियों ने नेटवर्क का सुधार आवश्यक माना है । 67% सैंपल गांवों में वितरण ट्रंसफार्मरों तथा विद्युत पोलों के जोड़ों की गुणवत्ता अच्छी नहीं पाई गई ।

56% गांवों में यह स्वीकार किया गया कि वितरण प्रणाली के अनुरक्षण तथा विद्युत आपूर्ति में बाधा को कम करने के लिए फ्रेंचाजियों को प्रशिक्षण देना चाहिए । साथ ही ए एस ई बी/एल.ए.ई.डी.सी.एल. द्वारा नेटवर्क की जाँच तथा ए.एस.ई.बी. के पर्यवेक्षण की भी स्पष्ट मांग थी ।

सैंपल गांवों की समग्र स्थिति तथा अधिकांश गांवों में तंत्र के सुधार की आवश्यकता के मद्देनजर गांवों में आपूर्ति की गुणवत्ता में सुधार के लिए फ्रेंचाजियों का प्रशिक्षण आवश्यक माना जा रहा है । फ्रेंचाइजी मुख्यतः स्थानीय युवक एवं लोग हैं जो उपभोक्ताओं की शिकायतों का तत्परता से समाधान कर रहे हैं । यदि फ्रेंचाजियों को मीटरीकरण, रिकार्ड कीपिंग, कम्प्युटर

डाटाबेस एवं एकाउंटिग समेत संपूर्ण वितरण प्रबंधन प्रणाली पर प्रशिक्षण दिया जाए, तो उनके कार्य-निष्पादन में काफी सुधार लाया जा सकता है । प्रशिक्षण में उपभोक्ता संतुष्टि के अलावा भार प्रबंधन तथा विद्युत की अल्प आपूर्ति के प्रबंधन को भी शामिल करना चाहिए ।

14.0 <u>फ्रेंचाइजी प्रणाली की रूपरेखा एवं प्रकार</u>

ग्रामीण विद्युत अवसंरचना के आर.जी.जी.वी.वाय पर विद्युत मंत्रालय/भारत सरकार के कार्यालय ज्ञापन के अनुसार पूंजीगत सबसिडी के लिए पात्र परियोजनाओं को राज्यों की प्रतिबद्धता आवश्यक है

I. आर.जी.जी.वी.वाई में ग्रामीण वितरण के प्रबंधन के लिए फ्रेंचाइजियों की तैनाती हेतु

II. विद्युत अधिनियम, 2003 के अंतर्गत राज्य यूटिलिटियों के राजस्व सबसिडी का प्रावधान आवश्यक

असम में कार्यरत फ्रेंचाइजियों को विद्युत मंत्रालय की उक्त दोनों आवश्यकताओं के अनुसार देखा जाना चाहिए और उन्हें आर.ई.सी के दिशानिर्देशों का भी पालन करना चाहिए।

आर.ई.सी. दिशानिर्देश फ्रेंचाइजियों की रूपरेखा तथा फ्रेंचाइजी बनने योग्य व्यक्तियों को परिभाषित करता है । आर.ई.सी. दिशानिर्देशों में परिभाषित चार मौलिक प्रकार के अलावा असम में अपनाया गया फ्रेंचाइजी का प्रकार मॉडल (i) बी के समकक्ष है ।

‘ मॉडल बी राजस्व फ्रेंचाइजी इनपुट आधारित = । असम के ग्रामीण क्षेत्रों में अपनाया गया इनपुट आधारित फ्रेंचाइजी वितरण ट्रंसफार्मर के एल.टी.साइड में मीटरीकृत इनपुट पर आधारित है जो ग्रामीण क्षेत्र को विद्युत आपूर्ति करता है ।

असम के फ्रेंचाइजी स्त्र् निजी उद्यमी = की श्रेणी मे आते हैं । हालांकि आर.ई.सी के दिशानिर्देशों में कहा गया है कः-

‘ फ्रेंचाइजियों के जरिए ग्रामीण वितरण का प्रबंधन किया जायेगा जो एन.जी.ओ, उपभोक्ता संघ, निगम या निजी उद्यमी हो सकते हैं तथा इनमें पंचायती संस्थानों को भी जोड़ा जोयगा। ‘

पंचायती संस्थानों को किस प्रकार जोडा जायेगा, इस बारे में दिशानिर्देश में कुछ नहीं कहा है । किन्तु उपभोक्ताओं के संतुष्टि-स्तर तथा ग्राम पंचायतों की प्रतिक्रिया के मद्देनजर कहा जा सकता है कि असम में आर.ई.सी. के दिशानिर्देशों का पालन किया जा रहा है ।

असम में फ्रेंचाइजी के रूप में निजी उद्यमियों द्वारा पूरी की जा रही जिम्मेवारी मॉडल 'ए , 'बी' और 'सी' पर लागू आर.ई.सी. दिशानिर्देश के पैरा 8 के अनुरूप है, अर्थात्

(क) मीटर रीडिंग एवं बिलिंग

(ख) राजस्व संग्रहण तथा यूटिलिटी द्वारा निर्धारित समय पर यूटिलिटी को पैसा देना

(ग) वाणिज्यिक एवं बिलिंग शिकायतों का निपटान

(घ) विद्युत कनेक्शन की स्थिति पर प्रतिक्रिया

15.0 राजस्व स्थायित्व

विद्युत मंत्रालय/भारत सरकार के कार्यालय ज्ञापन तथा आर.ई.सी. के दिशानिर्देशों के अंतर्गत फ्रेंचाइजियों के राजस्व स्थायित्व की अपेक्षा की गई है । भारत सरकार द्वारा राजस्व स्थायित्व सुनिश्चित करने के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत हैं :

15.1 थोक आपूर्ति टैरिफ

1. उपभोक्ता अनुपात, वर्तमान उपभोक्ता टैरिफ एवं संभावित भार के आधार पर फ्रेंचाइजी की थोक आपूर्ति टैरिफ (बी.एस.टी) उसकी वाणिज्यिक व्यवहार्यता सुनिश्चित करने के बाद निर्धारित की जायेगी ।

असम में फ्रेंचाइजी के लिए बी.एस.टी तय नहीं की गई है । हालांकि फ्रेंचाइजियों को डी का 15% कमीशन (लाभ) के रूप में दिया जाता है जहाँ डी फ्रेंचाइजी द्वारा 'घरेलू' एवं 'गैर-घरेलू' उपभोक्ताओं के लिए विद्युत शुल्क एवं मीटर के किराए को छोड़कर बनाई गई कुल बिल राशि का सूचक है ।

यदि 'ए' घरेलू उपभोक्ताओं का कुल संयोजित भार है
एफ सी घरेलू समूह के लिए नियत प्रभार है रु./किलोवाट
ई सी घरेलू समूह के लिए ऊर्जा प्रभार है (न्यूनतम स्तर) रु./किलोवाट घंटा
बी वितरण ट्रंसफार्मर को आपूर्ति की गई कुल ऊर्जा है
सी गैर-घरेलू उपभोक्ताओं का बिल है ।
तो फ्रेंचाइजी द्वारा ए एस ई बी को देय राशि

ए 0.85 x [(0.9 B-C)x Ec + A x Fc] + 0-85 x C

इस प्रकार फ्रेंचाइजी की आमदनी निम्नलिखित घटकों पर निर्भर करती है-

- आपूर्ति की गई कुल ऊर्जा में शामिल 10% की हानि से बचत
- विद्युत खपत के लिए बने कुल बिल का 15%
- टैरिफ (लागू - न्यूनतम स्तर) न् 0.9 बी

अतः यह स्वभाविक है कि फ्रेंचाइजी की आमदनी डी.टी.आर. को आपूर्ति की गई कुल ऊर्जा का सीधा आनुपातिक है

- अनुमेय वितरण हानि
- न्यूनतम एवं उच्चतम टैरिफ स्तर में अंतर
- बिल की गई राशि पर देय लाभ

हाल ही में फ्रेंचाइजी त्रके मेधी- द्वारा किये गए एक प्रस्तुतीकरण में (अक्टूबर 2006) निम्नलिखित माँग की गई थी-

- अनुमेय हानियों को बढ़ाकर 15% करना
- टैरिफ में रु. 0.50/ यूनिट की रियायत देना
- डी.टी.आर., एच.टी., एल.टी. लाइनों के रखरखाव के लिए प्रति डी.टी.आर. रखरखाव प्रभार देना
- विद्युत बाधा में और कमी सुनिश्चित करना ।

फ्रेंचाइजी द्वारा उक्तमांगों को अगस्त, 2006 की रीडिंग के आधार पर सही ठहराया गयाः

कुल डी.टी.आर. ए 10

कुल यूनिट खपत (आपूर्त) ए 107462

बिल की गई कुल यूनिट ए 83216

(खपत-बिल) के आधार पर हानि ए 22.5%

हालांकि औसत मासिक संग्रहण, यूटिलिटी को भुगतान तथा फ्रेंचाइजी के खर्च के दृष्टिकोण से फ्रेंचाइजी की बचत बहुत कम या कई मामलों में नकारात्मक भी होती है । इससे स्पष्ट पता चलता है कि फ्रेंचाइजियों की वित्तीय व्यवहार्यता के लिहाज से प्रति गांव/डी.टी.आर इनका प्रचालन-स्तर काफी कम है ।

15.2 <u>प्रतिस्पर्धात्मक बोली</u>

दिशानिर्देश में कहा गया है कि

' जब भी व्यवहार्य हो, तब थोक आपूर्ति टैरिफ निर्धारित करने के लिए बोली आमंत्रित की जा सकती है । '

असम में अब तक बी.एस.टी. निर्धारित नहीं की गई है और फ्रेंचाइजी द्वारा विद्युत की खरीद नहीं की गई है । भविष्य में भी बी.एस.टी. के लिए प्रतिस्पर्धी बोली तभी लगाई जा सकती है जब गांवों में फ्रेंचाइजी प्रणाली सुदृढ़ हो जाय और उनका प्रचालन संवहनीय बन जाय ।

15.3 राज्यों द्वारा राजस्व सब्सिडी

दिशानिर्देशों में प्रावधान है कि राज्य यूटिलिटियों द्वारा अपनी राजस्व आवश्यकता तथा टैरिफ निर्धारण के लिए राज्य विद्युत विनियामक आयोग को सूचना देते समय इसमें बी.एस.टी. को भी शामिल किया जायेगा ।

सैंपल गांवों के सर्वेक्षण के परिणामों से पता चलता है कि फ्रेंचाइजियों के प्रचालन को संवहनीय बनाने के लिए उनके सेवा प्रभार में वृद्धि करने की जरूरत है । यदि इस आमदनी से फ्रेंचाइजी संवहनीय बनते हैं और ग्रामीण क्षेत्रों की टैरिफ शहरी उपभोक्ताओं की तरह कर दी जाती है तो यूटिलिटियों को ग्रामीण क्षेत्रों में कुशल वितरण सेवा के लिए हुई हानि की क्षतिपूर्ति हेतु राज्य सरकारों से सब्सिडी लेने की आवश्यकता होगी ।

16.0 असम में आर.जी.जी.वी.वाई

असम मे रूरल इलेक्ट्रीफिकेशन ने आर.जी.जी.वी.वाई के शुरू होने के पहले ही काफी प्रगति हासिल कर ली थी । साथ ही फ्रेंचाइजी प्रणाली भी वहां पर कार्यशील थी ।

आर.ई.सी, आर.जी.जी.वी.वाई स्कीम के अंतर्गत गैर विद्युतीकृत गांवों को शामिल करने को प्राथमिकता देते है । हालांकि स्कीम का लाभ लेने के लिए ए.एस.ई.बी. ने इच्छा व्यक्त की है कि आर.जी.जी.वी.वाई में विद्युतीकृत गांव की वितरण प्रणाली का सुदृढ़ीकरण भी शामिल किया जाय ।

असम में 25 जिले हैं । इनमें से ए.एस.ई.बी 14 जिलों में आर.जी.जी.वी.वाई को लागू करेगा और 7 जिले क्रियान्वयन हेतु पी.जी.सी.एल को दिये गए हैं । बोंगाईगांव वितरण सर्किल में गोलपाड़ा जिले के कुछ हिस्से तथा बारपेटा जिला भी शामिल है । बोंगाईगांव में आर.जी.जी.वी.वाई का क्रियान्वयन पी.जी.जी.एल और ए.एस.ई.बी द्वारा किया जायेगा । पी.जी.सी.एल और ए.एस.ई.बी. द्वारा बोलियाँ आमंत्रित की गई थीं । आदेश जारी किया जाना तथा कार्यों को आरंभ किया जाना अभी बाकी है । हालांकि इनपुट आधारित फ्रेंचाइजी प्रणाली

असम में पहले से मौजूद है और यह एक अच्छा संकेत है । असम में आर.जी.जी.वी.वाई के निवेश से बेहतर परिणाम प्राप्त होने की संभावना है ।

17.0 फ्रेंचाइजी प्रणाली के कारण सुधार

असम में फ्रेंचाइजियों/एजेंटो की नियुक्ति गांवों में राजस्व संग्रहण के प्रबंधन के लिए की गई थी, जो वहाँ काफी कम था । फ्रेंचाइजी के जरिए सिंगल प्वाइंट पावर सप्लाय से ग्रामीण क्षेत्रों में राजस्व संग्रहण में काफी सुधार हुआ है ।

सैंपल गांवों में फ्रेंचाइजियों की नियुक्ति के बाद राजस्व संग्रहण में वृद्धि हुई है । यह विवरण विद्युत डिवीजन से प्राप्त हुआ था और संदर्भ के लिए 'उपभोक्ताओं से मासिक प्राप्ति' तथा 'यूटीलिटी को भुगतान ' टेबल अनुबंध के रूप में यहाँ दिए गए हैं ।

अतः यह कहा जा सकता है कि असम में फ्रेंचाइजी प्रणाली की शुरूआत के बाद गांवों में विद्युत खपत में वृद्धि के कारण बिल की गई राशि तथा राजस्व संग्रहण में वृद्धि हुई है ।

साथ ही यह भी पाया गया कि लगभग सभी सैंपल गांव में ग्राम पंचायत के अनुसार विद्युत चोरी को लगभग समाप्त कर दिया गया है (5% से भी कम) फ्रेंचाइजी गैर कानूनी उपभोक्ताओं को ए.एस.ई.बी. कर्मचारियों की सहायता से अपना नियमित कनेक्शन लेने के लिए समझने में सफल रहे हैं । बोर्ड ने भी ग्रामीण क्षेत्रों में नये कनेक्शन देने के लिए प्रक्रिया को सरल बनाया है । नियमित एवं कानूनी उपभोक्ताओं ने भी विद्युत चोरी के विरूद्ध फ्रेंचाइजियों को सतर्क करने में मदद की है ।

बोर्ड ने फ्रेंचाइजियों को भुगतान चूक एवं बकायों का भुगतान कर देने पर मीटरों को डिस्कनेक्ट और रिकनेक्ट करने का भी अधिकार प्रदान किया है । इसमें उन्हे ए.एस.ई.बी. के स्टाफ भी मदद कर रहे हैं । बोर्ड ने फ्रेंचाइजियों को ए.एस.ई.बी. अधिकारियों द्वारा सूची के आधार पर चूककर्ता उपभोक्ताओं से बकाया राशि लेने का अधिकार भी प्रदान किया है किन्तु तब भी परिणाम अच्छा नहीं है ।

18.0 प्रौद्योगिकी सुधार

फ्रेंचाइजियों ने ए.एस.ई.बी. अधिकारियों की सहायता से तकनीकी साधनों के प्रयोग द्वारा तकनीकी एवं राजस्व हानियों मे कमी करने के लिए कार्यवाही की है ।

डी.टी.आर के स्थान को भार केंद्रों तक ले जाने के प्रयास किये गए जिससे एल.टी. लाइनों की लंबाई में कमी हुई और फलस्वरूप तकनीकी हानियों में भी कमी हुई। डी.टी.आर.पी.

की क्षमता में भी कमी की जा रही है ताकि इसे उपभोक्ताओं के और नजदीक लाया जा सके । लोड के अनुसार कंडक्टर के आकार की भी जांच की जा रही है। अर्थिंग में सुधार किया जा रहा है । 11 केवी के फीडरों को पेड़ों एवं वनस्पतियों से मुक्तकिया जा रहा है । केबल लाइटिंग और केबल ज्वाइंट की गुणवत्ता में भी सुधार लाया जा रहा है ।

पुराने मीटरों को हटाकर नये एवं कुशल मीटर लगाने पर जोर है । सैंपल गांवों में सर्वेक्षण के अनुसार 80% उपभोक्ताओं के पास इलेक्ट्रानिक मीटर तथा 20% के पास मैकेनिकल मीटर हैं । असम के गांवों में उपभोक्ता इलेक्ट्रिक मीटर के मालिक होते हैं । उपभोक्ताओं द्वारा इलेक्ट्रानिक मीटर को चुना जाना वितरण प्रणाली में सुधार की दृष्टि से एक अच्छा संकेत है ।

19.0 सभी को विद्युत की उपलब्धता एवं बी.पी.एल. कनेक्शन

सैंपल गांवों में यह पाया कि सभी गांव विद्युतीकृत हैं किन्तु सभी परिवारों के पास विद्युत कनेक्शन नहीं है । कुल मिलाकर 4656 आवासों में से 1564 आवासों में घरेलू विद्युत कनेक्शन था । इन गांवों में 62 वाणिज्यिक कनेक्शन भी थे ।

इस प्रकार कुल आवासों में से 34% आवासों में विद्युत उपलब्ध थी और यदि वे मांग करें, तो 100% आवासों में विद्युत उपलब्ध कराने की संभावना है ।

दुर्भाग्यवश असम में ग्रामीण विद्युतीकरण के अंतर्गत बी.पी.एल. परिवारों को पर्याप्त विद्युत कनेक्शन नहीं दिये जाने की सूचना है । आशा है कि आर.जी.जी.वी.वाई स्कीम के क्रियान्वयन के दौरान बी.पी.एल. परिवार भी विद्युत कनेक्शन प्राप्त कर सकेंगे ।

20.0 फ्रेंचाइजी प्रणाली के लिए मॉनीटरिंग तंत्र

ए.एस.ई.बी. मुख्यालय में जी.एम. (कमीशन-राजस्व) वर्त्तमान में फ्रेंचाइजी/एजेंट के आधार पर ग्रामीण क्षेत्रों में एस.पी.पी.एस प्रणाली की प्रगति की समीक्षा करने के लिए जिम्मेवार है। वर्त्तमान में फ्रेंचाइजी प्रणाली का विस्तार राजस्व संग्रहण में सुधार के उद्देश्य से हो रहा है । धीरे-धीरे विभिन्न जिलों में कार्यरत फ्रेंचाइजी अपने आप को संगठित कर रहे हैं और बेहतर वाणिज्यिक शर्तों की मांग कर रहें है ।

फ्रेंचाइजी प्रणाली का मुख्य लक्ष्य ग्रामीण क्षेत्रों में वितरण प्रबंधन को वाणिज्यिक रूप से संवहनीय बनाना है । इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए ए.एस.ई.बी/डिस्कॉम को वर्त्तमान एवं

संभावित व्यक्तियों/को-ऑपरेटिव उद्यमियों की गहनता से मॉनीटरिंग करनी चाहिए ताकि फ्रेंचाइजी प्रचालन का स्वस्थ आदर्श स्थापित किया जा सके ।

उपभोक्ता को-ऑपरेटिव तथा ग्राम पंचायत-प्रायोजित फ्रेंचाइजी ग्रुप का राज्य में आरंभ होना अभी बाकी है । फ्रेंचाइजी के कार्यों का अभी और भी विस्तार हो सकता है । इसका यह मतलब नहीं है कि राज्य में फ्रेंचाइजी का वर्तमान प्रारूप वाणिज्यिक दृष्टि से संवहनीय नहीं है, किन्तु और बेहतर प्रारूपों के विकास के लिए निरंतर अध्ययन एवं प्रतिक्रिया प्राप्त करने की आवश्यक होगी ।

कुछ फ्रेंचाइजियों की चूक करने की आदत थी और कुछ ने अपना प्रचालन पहले ही छोड़ दिया था । यह स्पष्ट है कि फ्रेंचाइजियों को यूटिलिटी और उपभोक्ताओ के बीच कड़ी का काम करना होगा और उन्हे विद्युत व्यापार में ग्रामीण क्षेत्र में प्राप्त संपूर्ण नकद राशि की देखरेख करना है । यदि यूटिलिटियों द्वारा आरंभिक चरण में अनुशासन कायम रखने के लिए कारगर उपाय नहीं किये जाते हैं तो फ्रेंचाइजी का व्यवहार बाद में प्रतिकूल एवं अस्वस्थ स्थिति पैदा कर सकता है ।

वर्त्तमान व्यवस्था में फ्रेंचाइजियों को मासिक आधार पर बोर्ड को उनके द्वारा रखरखाव किये जा रहे उपभोक्ता लेजर शीट (नये कनेक्शन समेत) की एक प्रति भेजनी होती है । समझा जाता है कि अनेक फ्रेंचाइजी/एजेंट नियमित रूप से ऐसा नहीं कर पाते हैं कई मामलों में लेजर शीट नियमित रूप से अद्यतन नहीं किए जाते ।

इस अनुभव को ध्यान में रखते हुए ए.एस.ई.बी./डिस्कॉम द्वारा फ्रेंचाइजियों के लिए एक कारगर मॉनीटरिंग प्रणाली बनाने की आवश्यकता है, ताकि अनुशासन कायम रखा जा सके, अवांछित उद्यमियों को हटाया जा सके तथा प्रचालन प्रणाली में क्रमिक रूप से सुधार लाया जा सके ।

21.0 <u>फ्रेंचाइजी प्रणाली के विकल्प</u>

फ्रेंचाइजियों को यूटिलिटियों के लिए आउटसोर्सिंग की एक प्रक्रिया के रूप में देखा जा सकता है । आउटसोर्सिंग के तरीके तथा चयनित फ्रेंचाइजी के स्वरूप के अनेक विकल्प हो सकते हैं । इसे आर.ई.सी. के दिशानिर्देशों में भी विस्तार से बताया गया है और साथ ही इसके अनेक विकल्प भी बताये गये हैं ।

विद्युत मंत्रालय/भारत सरकार फ्रेंचाइजी प्रणाली में मुख्य रूप से इस लिए रूचि ले रही है कि लगभग 90% अनुदान के जरिए आर.जी.जी.वी.वाय स्कीम के अंतर्गत तैयार ग्रामीण

विद्युत अवसंरचना का प्रभावी तरीके से समुपयोग किया जा सके । इसमें स्थानीय लोगों एवं समुदायों की भागीदारी को एक कारगर विकल्प माना जाता है ।

इसके अलावा फ्रेंचाइजियों का उद्यमी स्वरूप तथा सतत प्रचालन के लिए वाणिज्यिक रूप से सक्षम मॉडल तैयार करना भी एक चुनौती है । आपूर्ति की गई विद्युत के लिए नकद राशि संग्रहण हेतु उपभोक्ता इंटरफेस आउटसोर्सिंग के लिए एक संवेदनशील क्षेत्र है । राज्य विद्युत बोर्डों के वितरण तंत्र में समय के साथ काफी गिरावट आयी और विद्युत एवं नकद राशि की चोरी भी सामान्य बात हो गई थी क्योंकि यही रा.वि.बो. की पूरी नकद राशि को संभालते थे वितरण प्रणाली और उपभोक्ता के साथ कैश इंटरफेस विद्युत उद्योग का सर्वाधिक संवेदनशील हिस्सा है । विद्युत अधिनियम, 2003 में विद्युत व्यवसाय में विद्युत वितरण और विद्युत व्यापार को पहले ही अलग-अलग कार्य का दर्जा दे दिया है । ग्रामीण क्षेत्रों में फ्रेंचाइजी प्रणाली इसलिए शुरू की गई क्योंकि गांवों से राजस्व संग्रहण में काफी हानि होती थी । रा.वि.बो. से वितरण कंपनियों के अलग होने के बाद ग्रामीण एवं शहरी अंतर को दूर करना उचित होगा । फ्रेंचाइजी मॉडल या त्प्रोसेस आउटसोर्सिंग मॉडल- तैयार करने में वितरण कंपनियों को पूरी स्वंतत्रता देनी चाहिए ताकि वे राजस्व संग्रहण पर बेहतर एवं प्रभावी नियंत्रण रख सके ।

22.0 <u>फ्रेंचाइजी प्रणाली की सफलता</u>

असम में फ्रेंचाइजी प्रणाली की सफलता विद्युत मंत्रालय/भारत सरकार और आर.ई.सी. के दिशानिर्देशों के संदर्भ में देखना चाहिए । फ्रेंचाइजी प्रणाली की सफलता निम्नलिखित बिन्दुओं के आधार पर तय की जा सकती है

- दिशानिर्देशों का पालन
- लक्ष्यों को हासिल करने में सफलता

22.1 <u>दिशानिर्देशों का पालन</u>

असम, बोंगाईगांव वितरण सर्किल में फ्रेंचाइजी निम्नलिखित के जरिए कार्यशील है

- निजी उद्यमी
- मॉडल बी-राजस्व फ्रेंचाइजी - इनपुट आधारित वितरण ट्रंसफार्मर के अंतर्गत

फ्रेंचाइजियों की नियुक्ति विज्ञापन देकर की जाती है, किन्तु उनके चयन संबंधी मानदंड तैयार किया जाने अभी बाकी हैं । इसे अर्द्ध - पारदर्शी प्रक्रिया कहा जा सकता है ।

फ्रेंचाइजी निजी उद्यमी होते हैं न कि संगठित समूह यूथ केअर के बैनर के अंतर्गत स्थानीय युवक फ्रेंचाइजी बनने के लिए संगठित हुए हैं । हालांकि अधिकांश फ्रेंचाइजी से कार्य कर रहे हैं, किन्तु यूटिलिटी से सूचना है कि कुछ फ्रेंचाइजियों को काम छोड़ने की

आदत है । कुछ ने अपना कार्य पहले ही छोड़ दिया है । मोटे तौर पर असम में फ्रेंचाइजी प्रणाली भारत सरकार/आर.ई.सी के दिशानिर्देशों के अनुसार ही कार्य कर रही है ।

22.2 <u>लक्ष्यो को प्राप्त करने में सफलता</u>

असम के गांवों में कार्यशील फ्रेचाइजी प्रणाली ने निम्नलिखित सुधार हासिल करने में सफलता पाई है

- मीटर रीडिंग एवं बिलिंग
- राजस्व संग्रहण
- उपभोक्ता संतुष्टि
- उपभोक्ता शिकायतों का निवारण
- विद्युत चोरी में कमी
- उपभोक्ता लेजर का रख-रखाव
- नये कनेक्शन जारी करना
- वितरण प्रणाली की खराबियों की सूचना देना
- विद्युत एकाउंटिग के लिए मीटरीकरण
- संचयी बकायों में कमी लाना

नये कनेक्शन लेने एवं विद्युत बिलों के भुगतान में ग्रामीण उपभोक्ताओं के समक्ष उत्पन्न समस्याओं में काफी हद तक कमी आई है । एस.पी.पी.एस. आधारित फ्रेंचाइजी प्रणाली के कारण असम के ग्रामीण क्षेत्रों में अधिक से अधिक लोगों को विद्युत मिलने का भी आश्वासन दिया गया है।

23.0 <u>निष्कर्ष</u>

फ्रेंचाइजी/एजेंट के आने से असम के ग्रामीण क्षेत्रों में राजस्व संग्रहण में काफी सुधार हुआ है। ग्रामीण विद्युतीकरण में भी काफी सुधार हुआ है और सकल तकनीकी एवं वाणिज्यिक क्षतियों पर भी अंकुश लगा है । गांवों में उपभोक्ताओं के अभिलेखों (रिकार्ड) को भी व्यवस्थित किया गया

है । खराब मीटरों को बदला जा रहा है और उपभोक्ताओं के इलेक्ट्रानिक मीटर प्रयोग में हैं । नियमित मीटर रीडिंग एवं मासिक आधार पर बिलिंग हो रही है और तकनीकी

हानियों में कमी करने के लिए वितरण प्रणाली में सुधार किया जा रहा है । ग्रामीण विद्युत प्रणाली की वास्तविक समस्या विद्युत आपूर्ति में कमी, विद्युत आपूर्ति में बाधा तथा विद्युत की गुणवत्ता में कमी है । फ्रेंचाइजी प्रणाली क समक्ष उत्पन्न एक अन्य समस्या इसकी वाणिज्यिक

व्यवहार्यता है क्योंकि इसके आधार पर ही सेवा की गुणवत्ता बरकरार रखी जा सकती है । प्राप्त किये गए राजस्व की सुरक्षा तथा तंत्र के रख रखाव के लिए राज्य सरकार से सबसिडी की व्यवस्था किया जाना बाकी है । यूटिलिटी तथा फ्रेंचाइजी-दोनों के लिए अनुकूल परिस्थिति तैयार करने हेतु वितरण कंपनी के स्तर पर फ्रेंचाइजी प्रणाली की समुचित मॉनीटरिंग आवश्यक है, ताकि यह ग्रामीण उपभोक्ताओं को सेवा प्रदान करने के लिए आउटसोर्सिंग के एक सशक्त माध्यम के रूप में उभरे ।

टेबल 1 : फ्रेंचाइजी का मासिक व्यय (रु. में)

	ग्राम	महीना 1	महीना 2	महीना 3	महीना 4	महीना 5	महीना 6
1.	उलुबारी	800/	1000/	750/	900/	800/	1000/
2.	बोरोबाजार	2000/	1000/	1500/	1050/	1500/	2000/
3.	दोहलापारा	3000/	4000/	3500/	3500/	4000/	4500/
4.	गोरोईमरी	7500/	10500/	12000/	9500/	10000/	
5.	नोवापाड़ा 1	550/	600/	750/	500/	650/	550/
6.	नोवापाड़ा 2	600/	650/	600/	590/	700/	650/
7.	कवाटिका	7500/	10500/	12000/	9500/	10000/	
8.	सियलमारी	8000/	3000/	4000/	2500/	3000/	3000/
9.	सतीपुर	900/	800/	750/	600/	1000/	700/
10.	मुलागांव बाजार	1000/	800/				
11.	हरीपुर	1500/	1000/	1200/	1200/	1000/	1000/
12.	चलंतापाड़ा	1500/	1000/	950/	750/	800/	1100/
13.	बालापाड़ा	1250/	1200/	1000/	950/	800/	1000/
14.	बोरतोलोवा	1200/	800/	950/	1000/	1100/	950/
15.	तपातारी	1500/	2000/	1500/	1500/	1200/	1200/
16.	पिराधरा	1500/	2000/	1500/	1500/	1200/	1200/

टेबल 2 : उपभोक्ताओं से फ्रेंचाइजी द्वारा मासिक प्राप्ति (रु. में)

	ग्राम	महीना 1	महीना 2	महीना 3	महीना 4	महीना 5	महीना 6
1	उलुबारी	10,200/	12,000/	11,000/	13,500/	10,000/	उपलब्ध नहीं
2	बोरोबाजार	19,193/	20,500/	22,300/	19,800/	21,000/	18,000/
3	दोहलापारा	15,500/	14,320/	15,200/	12,400/	11,500/	11,543/
4	गोरोईमरी	93,291/	129600/	197089/	11764/	121390/	उपलब्ध नहीं
5	नोवापाड़ा 1	10,864/	11,500/	10,700/	10,860/	11,290/	10,800/
6	नोवापाड़ा 2	9,255/	10,973/	10,900/	10,950/	9,850/	10,973/
7	कवाटिका	93,291/	129600/	197089/	11764/	121390/	उपलब्ध नहीं
8	सियलमारी	12,162/	15,000/	12,900/	14,200/	14,800/	15,200/
9	सतीपुर	17,465/	9,620/	13,268/	15,021/	13,603/	9,987/
10	मुलागांव बाजार	4,900/	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं
11	हरीपुर	6,121/	6,235/	8,881/	6,072/	7,902/	7,111/
12	चलंतापाड़ा	15,559/	23,514/	15,681/	15,472/	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं
13	बालापाड़ा	18,552/	15,784/	16,266/	13,239/	13,398/	13,050/
14	बोरतोलोवा	17,016/	16,934/	17,182/	13,236/	15,244/	15,479/
15	तपातारी	7,336/	6,374/	5815/	5,800/	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं
16	पिराधरा	3,671/	3,388/	3,581/	3,500/	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं

टेबल 3 : फ्रेंचाइजी द्वारा यूटिलिटी को मासिक भुगतान रु. में)

	ग्राम	महीना 1	महीना 2	महीना 3	महीना 4	महीना 5	महीना 6
1	उलुबारी	10,200/	14,000/	13,800/	15,000/	12,500	उपलब्ध नहीं
	बोरोबाजार	18,900/	20,100/	21,100/	18,500/	19,000/	16,200/
3	दोहलापारा	13,175/	12,172/	12,920/	10540/	9,775/	9,812/
4	गोरोईमरी	60,000/	85,400/	120,000/	100,000/	85,000/	उपलब्ध नहीं
5	नोवापाड़ा 1	9,234/	9,775/	9,095/	9,180/	9,597/	9,180/
6	नोवापाड़ा 2	7,866/	9,327/	9,265/	9,308/	8,372/	9,327/
7	कवाटिका	60,000/	85,200/	120,000/	100,000/	85,000/	उपलब्ध नहीं
8	सियलमारी	10,500/	12,800/	11,000/	13,200/	12,200/	13,000/
9	सतीपुर	14,846/	8,177/	11,278/	12,168	11,563/	8,489/
10	मुलागांव बाजार	4,165/	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं
11	हरीपुर	5,202/	5,299/	7,548/	5,162/	6,716/	6,044/
12	चलंतापाड़ा	13,225/	19,986/	13,328/	13,151/	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं
13	बालापाड़ा	15,769/	13,416/	13,826/	11,253/	11,388/	11,092/
14	बोरतोलोवा	14,463/	14,393/	14,604/	11,250/	12,957/	13,157/
15	तपातारी	6,235/	5,417/	4,942/	4,930/	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं
16	पिराधरा	3,120/	2,879/	3,043/	2,975/	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं

टेबल 4 : गांवों में प्रयुक्तवैद्युत उपकरण

	ग्राम	बल्ब/ टयूब	सी.ए फ एल	पंखा	रेडियो/ रिकार्ड प्लेयर	टी.वी	इलेक्ट्रिक पंप और मोटर	रेफ्रिजरेटर	वाशिंग मशीन	आयरन
1	उलुबारी	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	नहीं	हाँ	नहीं	हाँ
2	बोरोबाजार	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	नहीं	नहीं	नहीं	हाँ
3	दोहलापारा	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	नहीं	हाँ	नहीं	हाँ
4	गोरोईमरी	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	नहीं	हाँ	हाँ	हाँ
5	नोवापाड़ा 1	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	नहीं	हाँ	नहीं	हाँ
6	नोवापाड़ा 2	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	नहीं	हाँ	नहीं	हाँ
7	कवाटिका	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	नहीं	हाँ	हाँ	हाँ
8	सियलमारी	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	नहीं	हाँ	हाँ	हाँ
9	सतीपुर	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	नहीं	नहीं	हाँ	हाँ
10	मुलागांव बाजार	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	नहीं	नहीं	नहीं	हाँ
11	हरीपुर	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	नहीं	हाँ	नहीं	हाँ
12	चलंतापाड़ा	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	नहीं	नहीं	नहीं	हाँ
13	बालापाड़ा	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	नहीं	नहीं	नहीं	हाँ
14	बोरतोलोवा	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	नहीं	नहीं	नहीं	हाँ
15	तपातारी	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	नहीं	हाँ	नहीं	हाँ
16	पिराधरा	हाँ हाँ = 100 %	हाँ हाँ = 100 %	हाँ हाँ 100 %	हाँ हाँ = 100 %	हाँ हाँ = 100 %	नहीं हीं= 100 %	हाँ हाँ = 62% नहीं = 37%	नहीं हाँ = 25% नहीं= 75%	हाँ हाँ = 100%

टेबल 5 : फ्रेंचाइजी द्वारा देखे जा रहे कार्य

	ग्राम	नए कनेक्शन	उपभोक्ता शिकायत (आपूर्ति)	फ्यूज प्रतिस्थापन	0.44/0.23 केवी फीडर खराबी	उपभोक्ता परिसर में खराबी
1	उलुबारी	हाँ	हाँ	हाँ	नहीं	हाँ
2	बोरोबाजार	हाँ	हाँ	हाँ	नहीं	हाँ
3	दोहलापारा	हाँ	हाँ	हाँ	नहीं	हाँ
4	गोरोईमरी	हाँ	हाँ	हाँ	नहीं	हाँ
5	नोवापाड़ा 1	हाँ	हाँ	हाँ	नहीं	हाँ
6	नोवापाड़ा 2	हाँ	हाँ	हाँ	नहीं	हाँ
7	कवाटिका	हाँ	हाँ	हाँ	नहीं	हाँ
8	सियलमारी	हाँ	हाँ	हाँ	नहीं	हाँ
9	सतीपुर	हाँ	हाँ	हाँ	नहीं	हाँ
10	मुलागांव बाजार	हाँ	हाँ	हाँ	नहीं	हाँ
11	हरीपुर	हाँ	हाँ	हाँ	नहीं	हाँ
12	चलंतापाड़ा	हाँ	हाँ	हाँ	नहीं	हाँ
13	बालापाड़ा	हाँ	हाँ	हाँ	नहीं	हाँ
14	बोरतोलोवा	हाँ	हाँ	हाँ	नहीं	हाँ
15	तपातारी	हाँ	हाँ	हाँ	नहीं	हाँ
16	पिराधरा	हाँ हाँ= 100%	हाँ हाँ= 100%	हाँ हाँ= 100%	नहीं नहीं = 100%	हाँ= 100%

टेबल 6 : फ्रेंचाइजी-प्रतिक्रिया

	ग्राम	वोल्टेज में गिरावट	लाइन में खराबी	विद्युत (उपलब्धता)
1	उलुबारी	प्रबंधन-योग्य	प्रबंधन-योग्य	प्रबंधन-योग्य
2	बोरोबाजार	प्रबंधन-योग्य	प्रबंधन-योग्य	प्रबंधन-योग्य
3	दोहलापारा	प्रबंधन-योग्य	प्रबंधन-योग्य	प्रबंधन-योग्य
4	गोरोईमरी	गंभीर समस्या	प्रबंधन-योग्य	प्रबंधन-योग्य
5	नोवापाड़ा 1	प्रबंधन-योग्य	प्रबंधन-योग्य	प्रबंधन-योग्य
6	नोवापाड़ा 2	प्रबंधन-योग्य	प्रबंधन-योग्य	प्रबंधन-योग्य
7	कवाटिका	गंभीर समस्या	प्रबंधन-योग्य	प्रबंधन-योग्य
8	सियलमारी	प्रबंधन-योग्य	प्रबंधन-योग्य	प्रबंधन-योग्य
9	सतीपुर	प्रबंधन-योग्य	प्रबंधन-योग्य	प्रबंधन-योग्य
10	मुलागांव बाजार	प्रबंधन-योग्य	प्रबंधन-योग्य	प्रबंधन-योग्य
11	हरीपुर	प्रबंधन-योग्य	प्रबंधन-योग्य	प्रबंधन-योग्य
12	चलंतापाड़ा	प्रबंधन-योग्य	प्रबंधन-योग्य	प्रबंधन-योग्य
13	बालापाड़ा	प्रबंधन-योग्य	प्रबंधन-योग्य	प्रबंधन-योग्य
14	बोरतोलोवा	प्रबंधन-योग्य	प्रबंधन-योग्य	प्रबंधन-योग्य
15	तपातारी	प्रबंधन-योग्य	प्रबंधन-योग्य	प्रबंधन-योग्य
16	पिराधरा	प्रबंधन-योग्य	प्रबंधन-योग्य	प्रबंधन-योग्य

टेबल 7 : फ्रेंचाइजी के कारण प्रभाव का सर्वेक्षण

	ग्राम	सृजित रोजगार	दैनिक रूप से आपूर्ति के घंटे
1	उलुबारी	4	12-18 घंटे
2	बोरोबाजार	7	12-18 घंटे
3	दोहलापारा	5	12-18 घंटे
4	गोरोईमरी	5	12-18 घंटे
5	नोवापाड़ा 1	4	12-18 घंटे
6	नोवापाड़ा 2	4	12-18 घंटे
7	कवाटिका	5	12-18 घंटे
8	सियलमारी	4	12-18 घंटे
9	सतीपुर	2	12-18 घंटे
10	मुलागांव बाजार	8	12-18 घंटे
11	हरीपुर	4	12-18 घंटे
12	चलंतापाड़ा	4	12-18 घंटे
13	बालापाड़ा	5	12-18 घंटे
14	बोरतोलोवा	6	12-18 घंटे
15	तपातारी	5	12-18 घंटे
16	पिराधरा	5	12-18 घंटे

टेबल **8 :** मीटर रीडिंग एवं बिलिंग

	ग्राम	शिक्षा स्तर मीटर रीडर	फ्रेंचाइजी का कार्यालय	बिलिंग साइकल
1	उलुबारी	दसवीं से ऊपर	सुगम स्थान पर स्थित	मासिक
2	बोरोबाजार	दसवीं से ऊपर	सुगम स्थान पर स्थित	मासिक
3	दोहलापारा	दसवीं से ऊपर	सुगम स्थान पर स्थित	मासिक
4	गोरोईमरी	दसवीं से ऊपर	सुगम स्थान पर स्थित	मासिक
5	नोवापाड़ा 1	दसवीं से ऊपर	सुगम स्थान पर स्थित	मासिक
6	नोवापाड़ा 2	दसवीं से ऊपर	सुगम स्थान पर स्थित	मासिक
7	कवाटिका	दसवीं से ऊपर	सुगम स्थान पर स्थित	मासिक
8	सियलमारी	दसवीं से ऊपर	सुगम स्थान पर स्थित	मासिक
9	सतीपुर	दसवीं से ऊपर	सुगम स्थान पर स्थित	मासिक
10	मुलागांव बाजार	दसवीं से ऊपर	सुगम स्थान पर स्थित	मासिक
11	हरीपुर	दसवीं से ऊपर	सुगम स्थान पर स्थित	मासिक
12	चलंतापाड़ा	दसवीं से ऊपर	सुगम स्थान पर स्थित	मासिक
13	बालापाड़ा	दसवीं से ऊपर	सुगम स्थान पर स्थित	मासिक
14	बोरतोलोवा	दसवीं से ऊपर	सुगम स्थान पर स्थित	मासिक
15	तपातारी	दसवीं से ऊपर	सुगम स्थान पर स्थित	मासिक
16	पिराधरा	दसवीं से ऊपर	सुगम स्थान पर स्थित	मासिक

टेबल **9 :** उपभोक्ताओं का मीटरीकरण

	ग्राम	उपभोक्ता की पहचान सं.	कंप्यूटर डाटाबेस की उपलब्धता	बिल का वितरण एवं संग्रहण एक साथ

1	उलुबारी	हाँ	नहीं	नहीं
2	बोरोबाजार	हाँ	नहीं	हाँ
3	दोहलापारा	हाँ	नहीं	कभी-कभी
4	गोरोईमरी	हाँ	नहीं	कभी-कभी
5	नोवापाड़ा 1	हाँ	नहीं	
6	नोवापाड़ा 2	हाँ	नहीं	कभी-कभी
7	कवाटिका	हाँ	नहीं	कभी-कभी
8	सियलमारी	हाँ	नहीं	हाँ
9	सतीपुर	हाँ	नहीं	नहीं
10	मुलागांव बाजार	हाँ	नहीं	कभी-कभी
11	हरीपुर	हाँ	नहीं	कभी-कभी
12	चलंतापाड़ा	हाँ	नहीं	नहीं
13	बालापाड़ा	हाँ	नहीं	नहीं
14	बोरतोलोवा	हाँ	नहीं	नहीं
15	तपातारी	हाँ	नहीं	नहीं
16	पिराधरा	हाँ	नहीं	नहीं

टेबल 10 : उपभोक्ताओं हेतु दिए गए मीटर

	ग्राम	बीपीएल	घरेलू	वाणिज्यिक	औद्योगिक	मीटर मालिक	मीटर का प्रकार
1	उलुबारी	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	उपभोक्ता	इलेक्ट्रोनिक इलेक्ट्रो मैकेनि.

2	बोरोबाजार	हाँ	हाँ	हाँ	नहीं	उपभोक्ता	इलेक्ट्रोनिक इलेक्ट्रो मैकेनि.
3	दोहलापारा	हाँ	हाँ	हाँ	एन ए	उपभोक्ता	इलेक्ट्रोनिक इलेक्ट्रो मैकेनि.
4	गोरोईमरी	हाँ	हाँ	हाँ	100%	उपभोक्ता	मैकेनिकल
5	नोवापाड़ा 1	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	उपभोक्ता	इलेक्ट्रोनिक इलेक्ट्रो मैकेनि.
6	नोवापाड़ा 2	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	उपभोक्ता	इलेक्ट्रोनिक इलेक्ट्रो मैकेनि.
7	कवाटिका	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	उपभोक्ता	इलेक्ट्रोनिक इलेक्ट्रो मैकेनि.
8	सियलमारी	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	उपभोक्ता	इलेक्ट्रोनिक इलेक्ट्रो मैकेनि.
9	सतीपुर	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	उपभोक्ता	इलेक्ट्रोनिक इलेक्ट्रो मैकेनि.
10	मुलागांव बाजार	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	उपभोक्ता	मैकेनिकल
11	हरीपुर	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	उपभोक्ता	मैकेनिकल
12	चलंतापाड़ा	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	उपभोक्ता	मैकेनिकल
13	बालापाड़ा	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	उपभोक्ता	मैकेनिकल
14	बोरतोलोवा	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	उपभोक्ता	मैकेनिकल
15	तपातारी	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	उपभोक्ता	इलेक्ट्रिकल(80%) मैकेनिकल(20%)
16	पिराधरा	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	उपभोक्ता	इलेक्ट्रोनिक

<u>टेबल 11 : गांव में विद्युत अवसंरचना</u>

	ग्राम	33/11 केवी एस/एस फीडिंग ग्राम	गांव को उपलब्ध वितरण क्षमता	गांव में डी टी/क्षमता	गांव में विद्युत पोल/वितरण बिन्दुओं की संख्या
1	उलुबारी	63के वी ए	1 संख्या	63के वी ए	52

2	बोरोबाजार	100के वी ए	1 संख्या	100के वी ए	52
3	दोहलापारा	63के वी ए	1 संख्या	63के वी ए	35
4	गोरोईमरी	100के वी ए	1 संख्या	100के वी ए	45
5	नोवापाड़ा 1	100के वी ए	1 संख्या	100के वी ए	42
6	नोवापाड़ा 2	63के वी ए	1 संख्या	63के वी ए	25
7	कवाटिका	63के वी ए	1 संख्या	63के वी ए	22
8	सियलमारी	63के वी ए	1 संख्या	63के वी ए	45
9	सतीपुर	100के वी ए	1 संख्या	100के वी ए	25
10	मुलागांव बाजार	100के वी ए	1 संख्या	100के वी ए	27
11	हरीपुर	63के वी ए	1 संख्या	63के वी ए	42
12	चलंतापाड़ा	100के वी ए	1 संख्या	100के वी ए	50
13	बालापाड़ा	63के वी ए	1 संख्या	63के वी ए	20
14	बोरतोलोवा	63के वी ए	1 संख्या	63के वी ए	25
15	तपातारी	63के वी ए	1 संख्या	63के वी ए	32
16	पिराधरा	63के वी ए	1 संख्या	63के वी ए	20

टेबल 12 : फ्रेंचाइजी की समस्या

	ग्राम	**प्रस्तावित सुधार**	**विद्युत बाधा**
1	उलुबारी	प्रशिक्षण की आवश्यकता	नियमित समस्या
2	बोरोबाजार	टैरिफ संरचना में संशोधन होना चाहिए	नियमित समस्या
3	दोहलापारा	टैरिफ संरचना में संशोधन होना चाहिए	नियमित समस्या

4	गोरोईमरी	एएसईबी द्वारा नेटवर्क की जांच आवश्यक	नियमित समस्या
5	नोवापाड़ा 1	विद्युत आपूर्ति में सुधार	नियमित समस्या
6	नोवापाड़ा 2	एएसईबी द्वारा नेटवर्क की जांच	नियमित समस्या
7	कवाटिका	मीटरिंग प्रणाली में सुधार की आवश्यकता है	नियमित समस्या
8	सियलमारी	अनुरक्षण के लिए प्रशिक्षण की आवश्यकता है	नियमित समस्या
9	सतीपुर	डी टी आर के उन्नयन के लिए रा.वि. बोर्ड के सहायता की आवश्यकता	नियमित समस्या
10	मुलागांव बाजार	नेटवर्क में सुधार आवश्यक	नियमित समस्या
11	हरीपुर	नेटवर्क में सुधार	नियमित समस्या
12	चलंतापाड़ा	नेटवर्क का अनुरक्षण एवं विद्युत उपलब्धता	नियमित समस्या
13	बालापाड़ा	नेटवर्क का अनुरक्षण आवश्यक	नियमित समस्या
14	बोरतोलोवा	नेटवर्क अनुरक्षण	नियमित समस्या
15	तपातारी	एएसईबी का सहयोग आवश्यक	नियमित समस्या
16	पिराधरा	एल.टी.नेटवर्क में सुधार	नियमित समस्या

टेबल 13 : मीटरीकरण का प्रावधान

	ग्राम	डी टी में 11 केवी फीडर इनलेट	आउटपुट डी टी	विद्युत पोल पर	उपभोक्ता परिसर में
1	उलुबारी	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ

2	बोरोबाजार	हाँ	हाँ	नहीं	हाँ
3	दोहलापारा	हाँ	हाँ	नहीं	हाँ
4	गोरोईमरी	नहीं	नहीं	नहीं	हाँ
5	नोवापाड़ा 1	हाँ	हाँ	नहीं	हाँ
6	नोवापाड़ा 2	हाँ	हाँ	नहीं	हाँ
7	कवाटिका	नहीं	नहीं	नहीं	हाँ
8	सियलमारी	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ
9	सतीपुर	नहीं	नहीं	नहीं	हाँ
10	मुलागांव बाजार	नहीं	नहीं	नहीं	हाँ
11	हरीपुर	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ
12	चलंतापाड़ा	हाँ	नहीं	नहीं	हाँ
13	बालापाड़ा	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ
14	बोरतोलोवा	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ
15	तपातारी	नहीं	नहीं	नहीं	हाँ
16	पिराधरा	हाँ	हाँ	नहीं	हाँ

टेबल 14 : विद्युतीकरण प्रमाणपत्र-फ्रेंचाइजी

	ग्राम	बीपीएल परिवार	एपीएल परिवार	अनु.जाति एवं अनु.जनजाति	प्रमाणित विद्युतीकरण	नए कनेक्शन
1	उलुबारी	उपलब्ध नही	129	उपलब्ध नही	हाँ	4
2	बोरोबाजार	3	57	उपलब्ध नही	हाँ	8
3	दोहलापारा	उपलब्ध नही	90	उपलब्ध नही	हाँ	5

4	गोरोईमरी	उपलब्ध नही	180	उपलब्ध नही	हाँ	उपलब्ध नही
5	नोवापाड़ा 1	2	94	उपलब्ध नही	हाँ	10
6	नोवापाड़ा 2	उपलब्ध नही	80	उपलब्ध नही	हाँ	7
7	कवाटिका	उपलब्ध नही	58	उपलब्ध नही	हाँ	उपलब्ध नही
8	सियलमारी	उपलब्ध नही	129	उपलब्ध नही	हाँ	12
9	सतीपुर	उपलब्ध नही	108	उपलब्ध नही	हाँ	20
10	मुलागांव बाजार	उपलब्ध नही	31	उपलब्ध नही	हाँ	11
11	हरीपुर	उपलब्ध नही	66	उपलब्ध नही	हाँ	14
12	चलंतापाड़ा	उपलब्ध नही	205	उपलब्ध नही	हाँ	9
13	बालापाड़ा	उपलब्ध नही	100	उपलब्ध नही	हाँ	18
14	बोरतोलोवा	उपलब्ध नही	90	उपलब्ध नही	हाँ	30
15	तपातारी	उपलब्ध नही	54	उपलब्ध नही	हाँ	4
16	पिराधरा	उपलब्ध नही	28	उपलब्ध नही	हाँ	2

टेबल 15 : संग्रहण की सुविधा

गांव	**ग्राम**	घर घर जाकर	कुछ स्थानों पर ड्राप बाक्स	फैंचाइजी कार्यालय में	बैंक खाते में जमा	कंप्यूटर डाटाबेस-I
1	उलुबारी	हाँ	नहीं	हाँ	हाँ	नहीं

2	बोरोबाजार	नहीं	नहीं	हाँ	हाँ	नहीं
3	दोहलापारा	हाँ	नहीं	हाँ	हाँ	नहीं
4	गोरोईमरी	नहीं	नहीं	हाँ	हाँ	नहीं
5	नोवापाड़ा 1	उपलब्ध नही	नहीं	हाँ	हाँ	नहीं
6	नोवापाड़ा 2	हाँ	नहीं	हाँ	हाँ	नहीं
7	कवाटिका	हाँ	नहीं	हाँ	वँ	नहीं
8	सियलमारी	हाँ	नहीं	हाँ	हाँ	नहीं
9	सतीपुर	हाँ	नहीं	हाँ	हाँ	नहीं
10	मुलागांव बाजार	हाँ	नहीं	हाँ	हाँ	नहीं
11	हरीपुर	हाँ	नहीं	हाँ	हाँ	नहीं
12	चलंतापाड़ा	हाँ	नहीं	हाँ	हाँ	नहीं
13	बालापाड़ा	नहीं	नहीं	हाँ	हाँ	नहीं
14	बोरतोलोवा	हाँ	नहीं	हाँ	हाँ	नहीं
15	तपातारी	नहीं	नहीं	हाँ	हाँ	नहीं
16	पिराधरा	हाँ	नहीं	हाँ	हाँ	नहीं

टेबल 16 : उपभोक्ता की प्रतिक्रिया

	ग्राम	आपूर्ति की गुणवत्ता	उपभोक्ता शिकायतों का निपटान	यूटिलिटियों एवं	सुधार के सुझाव

				फ्रेंचाइजियों के बीच संबंध	
1	उलुबारी	ठीक है	हाँ	ओ के	विद्युत आपूर्ति में सुधार
2	बोरोबाजार	कम वोल्टेज	हाँ	अच्छा	उत्पादन में सुधार
3	दोहलापारा	ठीक है	हाँ	सन्तोषजनक	उत्पादन में सुधार
4	गोरोईमरी	कम वोल्टेज	नहीं	अच्छा	कम विद्युत बाधा
5	नोवापाड़ा 1	ठीक है	हाँ	अच्छा	उत्पादन में सुधार
6	नोवापाड़ा 2	ठीक है	हाँ	अच्छा	लोड शेडिंग कम करने की आवश्यकता है ।
7	कवाटिका	कम वोल्टेज	नहीं	सन्तोषजनक	नियमित विद्युत आपूर्ति, कम विद्युत बाधा, कुशल अनुरक्षण
8	सियलमारी	ठीक है	हाँ	अच्छा	विद्युत आपूर्ति में सुधार करना चाहिए ।
9	सतीपुर	कम वोल्टेज	हाँ	अच्छा	24 घंटे विद्युत आपूर्ति एवं अच्छा वोल्टेज
10	मुलागांव बाजार	कम वोल्टेज	हाँ	अच्छा	लाइनों का अनुरक्षण
11	हरीपुर	ठीक है	हाँ	सन्तोषजनक	विद्युत आपूर्ति में सुधार किया जाना चाहिए ।
12	चलंतापाड़ा	कम वोल्टेज	हाँ	सन्तोषजनक	विद्युत की उपलब्धता
13	बालापाड़ा	ठीक है	हाँ	अच्छा	आपूर्ति में सुधार
14	बोरतोलोवा	ठीक है	हाँ	सन्तोषजनक	आपूर्ति में नियमितता
15	तपातारी	ठीक है	हाँ	अच्छा	आपूर्ति में नियमितता
16	पिराधरा	ठीक है	हाँ	अच्छा	एल.टी.नेटवर्क में सुधार

टेबल 17 : प्रबंधन पर रायः ग्राम पंचायत

	ग्राम	उपभोक्ता संतुष्टि	टैरिफ में वृद्धि	मीटरीकरण से संतुष्टि	क्या 100औ मीटरीकरण है ।

1	उलुबारी	संतुष्ट	हाँ	हाँ	आवश्यक
2	बोरोबाजार	संतुष्ट	हाँ	हाँ	आवश्यक
3	दोहलापारा	संतुष्ट	हाँ	हाँ	आवश्यक
4	गोरोईमरी	संतुष्ट नहीं	हाँ	नहीं	आवश्यक
5	नोवापाड़ा 1	संतुष्ट	हाँ	हाँ	आवश्यक
6	नोवापाड़ा 2	संतुष्ट	हाँ	हाँ	आवश्यक
7	कवाटिका	संतुष्ट नहीं	हाँ	नहीं	आवश्यक
8	सियलमारी	संतुष्ट	हाँ	हाँ	आवश्यक
9	सतीपुर	संतुष्ट	हाँ	हाँ	आवश्यक
10	मुलागांव बाजार	संतुष्ट	हाँ	हाँ	आवश्यक
11	हरीपुर	संतुष्ट	हाँ	हाँ	आवश्यक
12	चलंतापाड़ा	संतुष्ट	हाँ	हाँ	आवश्यक
13	बालापाड़ा	संतुष्ट	हाँ	हाँ	आवश्यक
14	बोरतोलोवा	संतुष्ट	हाँ	हाँ	आवश्यक
15	तपातारी	संतुष्ट	हाँ	हाँ	आवश्यक
16	पिराधरा	संतुष्ट	हाँ	हाँ	आवश्यक

टेबल 18 : फ्रेंचाइजी का नाम और कर्मचारियों की सं.

	ग्राम	फ्रेंचाइजी का नाम	कर्मचारियों की कुल संख्या	कार्यशील गांवों की संख्या
1	उलुबारी	मैंसर्स ज्वोंगब्लो उद्यम	4	9

2	बोरोबाजार	जोउगखंग फार्म निज़ी	7	7
3	दोहलापारा	दोतुरी जुबा कलयान एज़ेंसी	5	8
4	गोरोईमरी			
5	नोवापाड़ा 1	मैंसर्स मानस उद्यम	4	9
6	नोवापाड़ा 2			
7	कवाटिका	मैंसर्स मयुरी उद्यम	5	8
8	सियलमारी			
9	सतीपुर	सतीपुर विद्युत उप समिति	2	1
10	मुलागांव बाजार	मुलागांव एस पी पी एस एज़ेंट	8	3
11	हरीपुर	शिवमू उद्यम	4	6
12	चलंतापाड़ा	चलंतापाड़ा एस पी पी एस एज़ेंट	4	3
13	बालापाड़ा	बालापाड़ा एस पी पी एस एज़ेंसी	5	3
14	बोरतोलोवा	एडवांस इलेक्ट्रिकल पावर एजेंसी	6	2
15	तपातारी	अमीन समूह	5	9
16	पिराधरा			

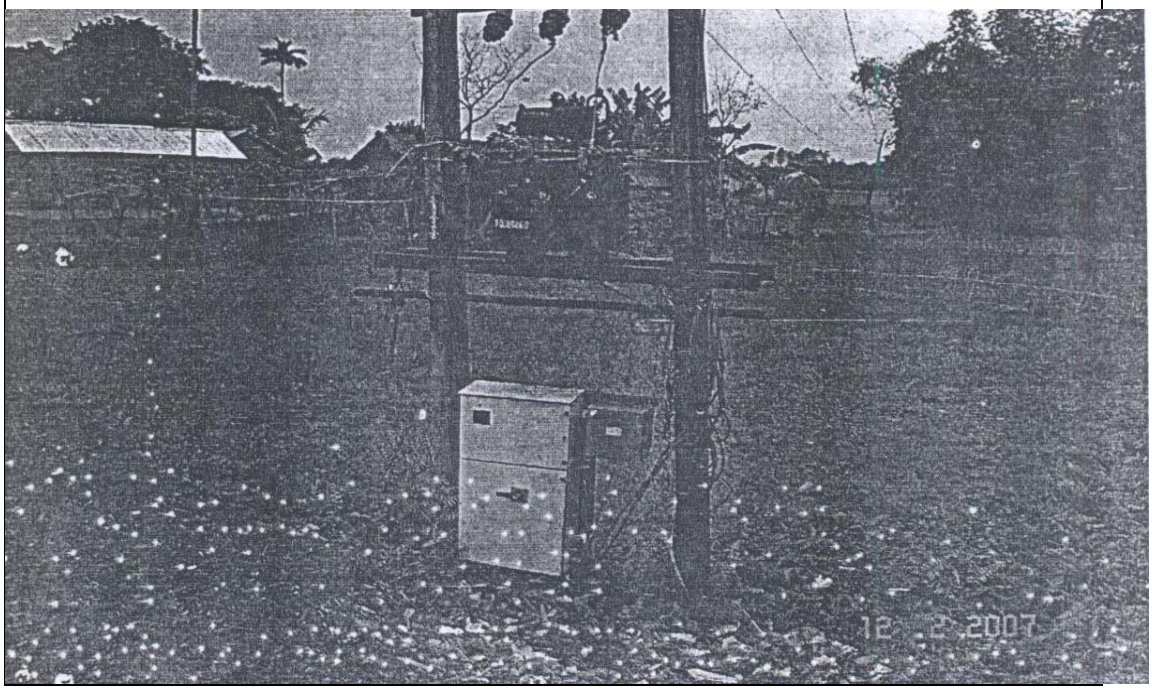

63 के वी ए ट्रांसफार्मर, गांवः तपातारी

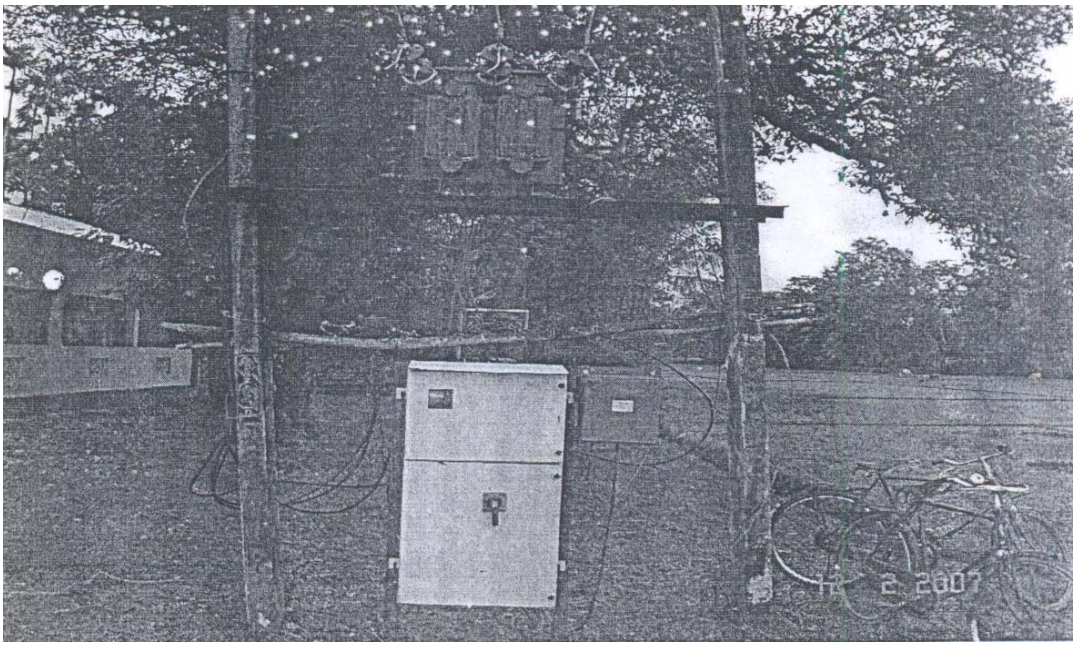

63 के वी ए ट्रांसफार्मर, गांवः हरिपुर

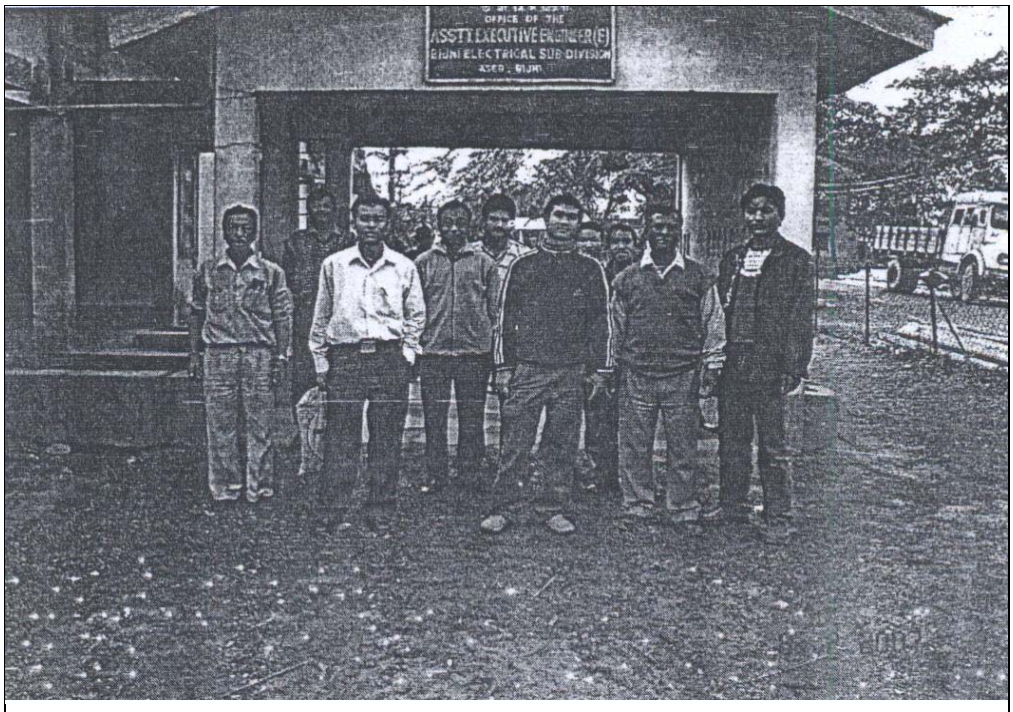

ए.एस.ई.बी के स्टाफ बिजनी, फ्रेंचाइजी कार्यकर्ता, इराडे टीम

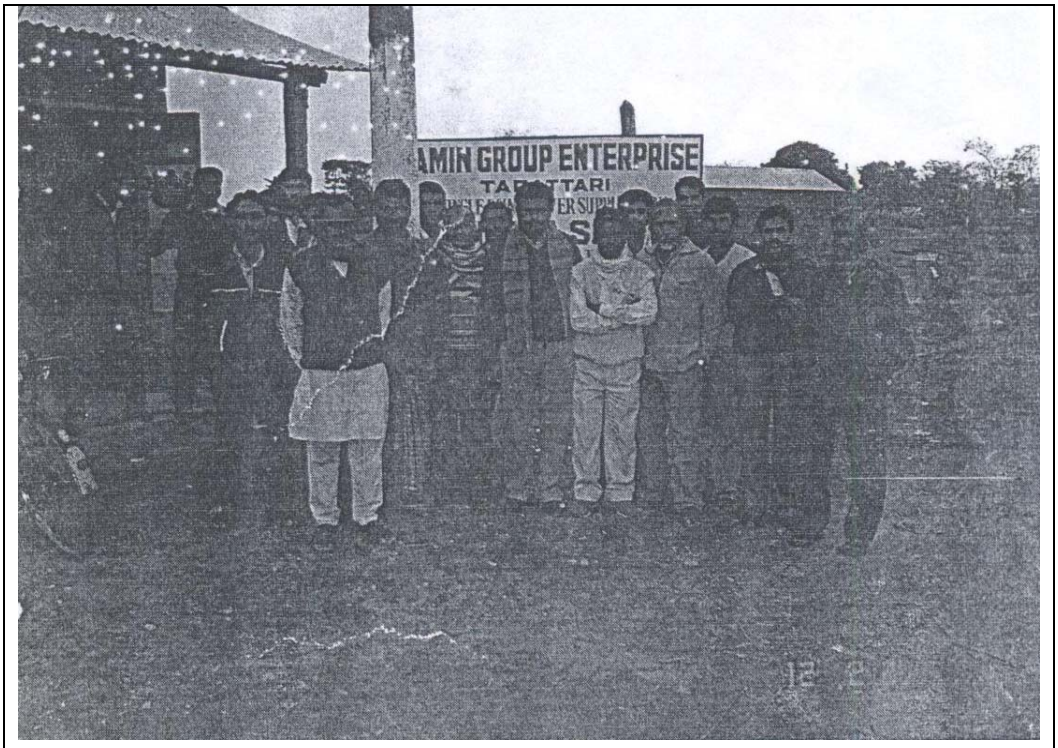

फ्रेंचाइजी कार्यालय में ग्रामीणों (उपभोक्ताओं) के साथ बैठक